जड़वस्तु अनुभाग के लिए कार्यालय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तक

MANUAL OF OFFICE PROCEDURES FOR DEADSTOCK SECTION



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बम्बई

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, BOMBAY

नोट:-

इस पुस्तिका में जड़वस्तु अनुभाग की कार्य प्रणाली के विस्तृत विचार दिये गये हैं, इन्हें नितीगत निर्णय के रूप में उदधृत नहीं किया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार का संदेह होनेपर, संबंधित विषय में जारी किये गये परिपत्र देखें।

NOTE: -

This booklet is intended to give a broad idea of working of the Dead Stock Section and should not be quoted for taking policy decisions. In case of doubts, please refer to the relevant circular on the subject.

विषय - वस्तु

क्रम. सं.	ब्यॉरे	पृष्ठ सं.
1.	सामान्य	. 4
2.	विभागों द्वारा जड़वस्तु अनुभाग को मौंग (इन्डेंट) भेजना	4
3.1	जड़वस्तुऐं खरीदने हेतु प्रक्रिया	5
3.2	अनुमोदित फर्म / आपूर्तिकर्ताओं की सूची	5
3.3	आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची तैयार करना	5
3.4	भाव (कोटेशन) मँगाना	, 6 i
3.5	भाव (कोटेशनों) की प्राप्ति	6
3.6	भावों (कोटेशन) का स्रोलना	7
3.7	1) भावों (कोटेशन) का निपटान	. 7
	2) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय (डीजीएसएण्डडी) की दरें	1.8
	3) आपूर्ति - आदेश देना	8
3.8	आपूर्ति आदेशों तथा बिलों के भुगतान और प्राप्ति इत्यादि का रिकार्ड रखना	9 .
3.9	आवक बिल रजिस्टर में प्रविष्टि	10
4.	जड़वस्तुओं को दर्ज करना और संख्या देना	10
5.	जड़वस्तुओं का आबंटन	12
6.	जड़वस्तु सूची - सूचनाएँ जारी करना	12 .
7.	विभागों / प्रभागों द्वारा जड़वस्तुओं का अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाना	13
7. क)	ब्रीफ केस देना	13
7. ख)	कैलकुलेटर देना	13
8.	विभागों / प्रभागों द्वारा जड़वस्तुओं का सत्यापन	13
9.	जड़वस्तु सामानों की मरम्मत	14
10.	समय - समय पर जड़वस्तुओं की रााफ - सफाई (सर्विसिंग)	15
ž.		

CONTENTS

SR. No.	` PARTICULARS	PAGE No
1.	General	4
2.	Indents by the Departments to Dead Stock Section	4
3.1	Procedure for purchase of Dead Stock articles	5 .
3.2	List of approved firms / suppliers	5
3.3	Preparation of approved list of suppliers	5
3.4	Calling for quotations	6
3.5	Receipt of quotations	6
3.6	Opening of quotations	7
3.7	i. Disposal of quotations	8
	ii. DGS & D rates iii. Placing of orders	8
	iv. Constitution of Purchase Committee	9
3.8	Record of orders placed and receipt and payment of Bills etc.	10
3.9	Entry in inward Bills Register	10
4.	Recording and numbering of Dead Stock articles	10
5.	Allotment of Dead Stock articles	12
6.	Issue of Dead Stock Inventory advices	12
7.	Record of Dead Stock articles by the Departments / Division	13
kgyasan di sa katan salaya	(A) Issue of Brief - cases (B) Issue of calculators	13
8.	Verification of Dead Stock articles by the Departments / Divisions	.14
9.	Repairs to Dead Stock articles	15

क्रम. सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
11.	चाबियों की अभिरक्षा (कस्टडी)	16
12.	कम मृल्य वाली वस्तुओं की वस्तुसूची	17
13.	जड़वस्तुओं के लिए दिए गए आदेशों तथा बिलों की प्राप्ति और भुगतान का अभिलेख	17
14.	मूल्य हास प्रभारित (चार्ज) करना क. बीमा	18
15.	जड़वस्तु सामानों का निपटान / बट्टे खाते डालना	1 20
16.	विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव	. 22
16.1	जड़वस्तु क्रय रजिस्टर	22
16.2	जड़वस्तु - वस्तुसूची - रजिस्टर	22
16.3	मरम्मत रजिस्टर	22
16.4	साज - सफाई (सर्विस) संविदा (कन्ट्रैक्ट) रजिस्टर	23
16.5	चाबियों का रजिस्टर	23
16.6	क्रय आदेश और बिल रजिस्टर	23
16.7	मूल्य हास गणना रजिस्टर	23
16.8	बट्टे खाते डाली गई वस्तुओं का रजिस्टर	23
17.	जड़वस्तुओं की खरीद मरम्मत पर हुए व्यय मूल्य - ह्वास आदि का लेखा	24
17.1	खरीद	24
17.2	मरम्पत	2.4
17.3	मूल्य - हास	24
17.4	जड़वस्तुओं का निपटान (डिस्पोज़ल)	24
18.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन	-25
19.	उपकार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों / आवासीय क्वार्टरों में	25
	जड़वस्तु की खरीद , मरम्मत इत्यादि	

SR.No	PARTICULARS	PAGE No.
10.	Periodical servicing of Dead Stock articles	15
11.	Custody of keys	16
12.	Inventory of articles of small value	
13.	Record of Dead Stock orders placed and receipt and payment of Bills	t 17
14.1	Charging of depreciation	19
14.2	Insurance	20
15.	Disposal / writing off of Dead Stock articles	20
16.	Maintenance of various Registers	23
16.1	Dead Stock Purchase Register	23
16.2	Dead Stock Inventory Register	24
16.3	Repairs Register	24
16.4	Service Contract Register	24
16.5	Register of Keys	24
16.6	Purchase orders & Bills Register	24
16.7	Depreciation calculation Register	25
16.8	Register of Dead Stock articles written off	25
17.	Accounting of expenditure incurred on purchases for repairs, depreciation etc. on the dead stock articles	25
17.1	Purchases	25
17,2	Repairs	25
17.3		26
17.4	Disposal of dead stock articles.	26
18.	Compliance of Audit Reports.	26
19.	Purchase, Repairs etc., to Dead Stock Article at Sub-offices / Training Centres / Resident Quarters.	es 27 ial

अनुबंघ की सूची

क्रम सं.	व्यीरे .	साप्रपवि - फार्मेट सं.
1	2	3
1.	जड़वस्तु (डेडस्टाक) सूची बनाना	साप्रपवि - जड़वस्तु - फा. 1
2.	जड़वस्तु वस्तुसूची निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) की सूचना	साप्रपवि - जड़वस्तु - फा. 2
3.	/ जहतम्तु गतमगियाँ का ग्रमाण पत्र	
4.	देखी गई विमंगतियाँ	साप्रपवि - जड़वस्तु - फा. 3
5.	वर्ष के लिए समाधान (रिकंसिलिएशन) विवरण	साप्रपवि - जड़वस्तु - फा. 4
6.	. जड़वस्तु क्रय रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु- र 1
7.	जड़वस्तु वस्तुसूची रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 2
8.	विभागीय जड़वस्तु वस्तुसूची रजिस्टर	साप्रपवि - जड़बस्तु - र 3
9.	मरम्मत हेतु मंजूरी रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 4
10.	सर्विस संविदा (कान्ट्रैक्ट) रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 5
11.	चाबियों का रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 6
12.	जड़वस्तु क्रम आदेश बिल रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 7
13.	मूल्यहास (डैप्रीसिएशन) गणना रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 8
14.	बट्टे खाते डाली गई / निपटाई गई जड़वस्तुओं का रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 9
15.	कैलकुलेटर - जारी रजिस्टर - जड़वस्तु अनुभाग	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 10
16.	कोटेशन (भाव) रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 11
17.	आवक बिल रजिस्टर	साप्रपवि - जड़वस्तु - र 12

List of Annexures

SR.No	PARTICULARS	GAPD-FORMAT No. Pag
1.	2.	3.
1	Dead Stock Inventory Advice	GAPD-DS-F1
2	Dead Stock Inventory Cancellation Advice	GAPD-DS-F2
3	Certificate of Dead Stock Articles	GAPD-DS-F3
	Discrepancies noticed	
4	Reconciliation Statement for the year	GAPD-DS-F4
5	Dead Stock Purchase Register	GAPD-DS-R-I
6	Dead Stock Inventory Register	GAPD-DS-R-2
7	Departmental Dead Stock Inventory Register	GAPD-DS-R-3
8	Sanction Register for Repairs	GAPD-DS-R-4
9	Service Contract Register	GAPD-DS-R-5
10	Register of Keys	GAPD-DS-R-6
11	Dead Stock Purchase Order & Bills Register	GAPD-DS-R-7
12	Depreciation Calculation Register	GAPD-DS-R-8 ∪
13	Register of dead stock articles Written off / Disposed off	GAPD-DS-R-9
14	Calculator - Issue Register	GAPD-DS-R-10
15	Quotations Register	GAPD-DS-R-11
16	Inward Bills Register	GAPD-DS-R-12

कार्यालय प्रक्रिया की नियम - पुस्तिका (मैनुअल)

जड़वस्तु (डैडस्टाक) से संबंधित पुस्तिका / अध्याय - फर्निचर / जुड़नार की खरीद और बैंक की जड़वस्तुओं की मरम्मत

1 सामान्य

- 1.1 प्रधान कार्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में जड़वस्तुओं की खरीद, प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय के विभागों को उनकी आपूर्ति और आवश्यकता एड़ने एर उनकी मरम्मत से संबंधित कार्य प्रधान कार्यालय में सामान्य प्रशासन और परिसर विभाग (जड़वस्तु अनुभाग) / क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशासन प्रभाग द्वारा किया जाएगा । कार्यालय परिसर और आवासीय भवनों में फर्नीचर, जुड़नार, कम्प्यूटर लगाना, कार्यालय उपकरण, मशीनों और अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ जड़वस्तु सामानों के अंतर्गत शामिल हैं।
- 1.2 कौन सी सामग्री जड़वस्तु खाते के अंतर्गत बुक की जाय इस बात का निर्धारण करने के लिए स मग्री के मूल्य और स्थायित्व पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्यतः कोई भी सामग्री जिसका प्रारंभिक क्रय मूल्य रू.500/- (पांच सौ रुपये) से अधिक है, "जड़वस्तु " सामान के रूप में मानी जाएगी। आगे के अनुच्छेदों में उल्लिखित विभागो / प्रभागों के अलावा कोई भी विभाग / प्रभाग, जड़वस्तु सामग्री के क्रय या उसकी मरम्मत कराने का कार्य नहीं करेगा।

विभागों द्वारा जङ्बस्तु अनुभाग को माँग इन्डेंट भेजना

2.1 जड़वस्तु अनुभाग विभिन्न विभागों / प्रभागों / अनुभागों से किसी भी जड़वस्तु सामग्री के क्रथ, उनको बदलने और / या मुरम्मत हेतु की गई माँग को विचार हेतु स्वीकार करेगा। जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को भेजे जाने से पहले, ऐसे सभी माँग पत्रों की प्रभारी अधिकारों द्वारा उचित प्रकार से जाँच की जाएगी और उनकी संस्तुति (रेकमेन्डेशन) की जाएगी।

MANUAL OF OFFICE PROCEDURE

PURCHASE OF FURNITURE / FIXTURES AND REPAIRS TO BANK'S DEAD STOCK ARTICLES

GENERAL

- 1.1 At Head office and at each Regional Office, the function relating to purchase of Dead Stock articles, supply thereof to the Departments of Head Office / Regional Office and repairs thereto whenever necessary, will be centralised in GAPD (Dead Stock Section) in Head Office / Administration Division in Regional office. Dead stock articles covered hereunder will comprise furniture, fixtures, electric installations, computer installations, office equipments, machines and other fixed assets at office premises and residential buildings.
- 1.2 In determining whether an article should be booked under the Dead Stock Account, both the cost and the durability of the article should be taken into consideration. Generally, any article, the initial purchase price of which is more than Rs. 500/-, will be regarded as a Dead Stock Article. No other Department / Division other than the one mentioned in the preceding paragraph will purchase articles of dead stock or undertake repairs thereof.

2. INDENTS BY THE DEPARTMENTS TO DEAD STOCK SECTION

2.1 The Dead Stock Section will entertain the indents of the various Departments / Divisions / Sections for the purchase/ replacement of and / or repairs to any dead stock article, as the case may be. All such indents will be properly scrutinised and recommended by the Officer - in - Charge of respective Department / Division / Section before they are sent to Dead Stock Section / Administration Division.

जड़वस्तुएं खरीदने हेतु प्रक्रिया

है। जड़वस्तु सामग्रियों की खरीद हेतु आदेश, समग्र रूप से कार्यालय की कुल आवश्यकताओं की ध्यान में रखकर, यथासंभव ज्यादा मात्रा (बल्क) में दिए जाएं।

बजटीय आवंटन

संबंधित अनुभाग, वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए किए गए बजटीय आजटन के अंदर हो खरीद करेगा। स्वीकृति देने से पूर्व यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तावित अपद सहित कुल व्यय, वर्ष हेतु किए गए बजटीय आबंटनों के भीतर हैं। जड़वस्तु सामग्रियों के आपूर्ति हेतु आदेश और मरम्मत के लिए संविदाओं के निष्पादन इत्यादि, भाव दरें (कोटेशन) मंगाने के पक्षात, प्रतिष्टित अनुमोदित फर्म / आपूर्तिकर्ताओं को ही दिए जाने चाहिए किए जाने चाहिए।

3.2 अनुमोदित फर्म / आपूर्तिकर्ताओं की सूची

जड़बस्तु अनुभाग अनुमोदित फर्मों और प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं की सूची रखेगा और हर दो वर्ष में एक बार उसकी समीक्षा करेगा । प्रधान कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय बैंक के पास सूचीबद्ध अनुमोदित फर्मों को ही आर्डर दिए जाएंगे ।

3.3 आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची तैयार करना

आपूर्तिकर्ताओं की नई अनुमोदित सूची दो वर्ष में तैयार की जाएगी इसके लिए कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में विशापन जारी किए जाएं जिससे कि सूची में काफी बड़ी संख्वा में कर्म नामांकित हों। सूची तैयार करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें शामिल किए जानेवाले आपूर्तिकर्ताओं के पास बिक्री कर क्रमांक बैंकरों का संदर्भ और स्थायी आयकर क्रमांक हो। लाउंज के लिए अपेक्षित खाद्य सामग्री, सफाई हेतु सामान इत्यादि बैसी फुटकर मदों की खरीद के लिए उपभोक्ता सहकारी भंडार / लघु / कुटीर उद्योगों के नाम, जहाँ काहीं संभव हो, अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल किए जाएं। अनुमोदित सूची में न्यूनतम पाँच और अधिकतम दस आपूर्तिकर्ताओं के नाम होने चाहिए। जहाँ ऐसी फर्मो के साथ संपर्क आवश्यक हो, जिनके नाम अनुमोदित सूची में शामिल नहीं है, उन सभी मांमलों में प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक, साप्रपति और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

PROCEDURE FOR PURCHASE OF DEAD STOCK ARTICLES

3.1 Order for purchase of dead stock articles should be placed, as far as possible in bulk, taking into account the total requirement of the office as a whole.

Budgetary Allocation

The Section concerned will make purchases within the budgetary allocation made for the purpose during the financial year. It will be certified before according sanction that the total expenditure including the proposed expenditure is within the budgetary allocation for the year.

3.2 List of approved firms / suppliers ...

Dead Stock Section will maintain a list of approved firms/ reputed suppliers and review the same once in every two years. The orders will be placed only with the approved firms enlisted with the National Bank in accordance with the instructions issued by Head Office from time to time.

3.3 Preparation of approved list of suppliers :

The approved list of suppliers will be prepared afresh every two years by issuing an advertisement in a few local dailies so that a fairly large number of firms are enrolled in that list. Before preparing the list, it will be ensured that the suppliers to be included therein have a sales tax number, bankers reference and permanent income tax number. For purchasing of sundry items such as, provisions required for lounge, cleaning material etc., names of consumer's co-operative stores / small scale / cottage industries wherever possible may be included in the list of approved suppliers. A minimum of five and a maximum of ten suppliers should be placed on the approved list. Approval of Deputy General Manager, GAPD at H.O. Officer - in - Charge at R.O. must also be obtained in all cases where it is necessary to have dealings with the firms which are not included in the approved list.

3.4 भाव (कोटेशन) मंगाना

जहाँ सामिश्रयों / मरम्मत की अनुमानित लागत रु.5000/- से अधिक हो उन मामलों में प्रतिस्पर्धी देरें सुनिश्चित करने के लिए, अनुमोदित फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं से भाव मुहरबंद लिफाफे में प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक, साप्रपिव और क्षेत्रीय कार्यालय / उप कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रभारी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम पर मंगाये जाएंगे । भाव मंगाने के लिए फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को जारी पत्रों में सामिश्रयों / कार्य की निश्चित विशिष्टताओं और दिनांक तथा समय जब तक भाव प्राप्त हो जाने चाहिए, का उल्लेख किया जाए । कम से कम पांच अनुमोदित फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं से भाव मंगाए बिना खरीद नहीं की जाएगी । जहाँ खरीदी जानेवाली सामग्री की कुल लागत 1000/- रु. से कम है, अनुमोदित फर्म जिससे सामान्यतः सामग्री खरीदी जाती है, आदेश दिये जाएं उसके लिए प्रतिस्पर्धी दों और भाव मंगाने की आवश्यकता नहीं है । जहाँ व्यय के लिए प्रधान कार्यालय की मंजूरी लेनी आवश्यक है, ऐसे भाव / निविदाएं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दो प्रतियों में ली जाएं और उसकी एक प्रति प्रभारी अधिकारी की संस्तुति (रेकमेन्डेशन) के साथ आवश्यक अनुमोदन / मंजूरी हेतु प्रधान कार्यालय भेजी जाए ।

जहाँ किए जानेवाले कार्य या खरीदी जानेवाली ,सामग्री / सामग्रियों की लागत रू.1,00,000/- और उससे अधिक होने का अनुमान है वहाँ बड़े स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निविदाएं प्राप्त की जाएंगी । तथापि, ऐसा करने से पहले निविदा देनेवाली पार्टी द्वारा किए जानेवाले कार्य की विशेष शर्तों और सामान्य विनिर्देशनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए निविदा प्रलेखों (डाक्यूमेंटों) का एक पूरा सेट तैयार कर प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित करा लिया जाना चाहिए। निविदा प्रलेखों को साइक्लोस्टाइल करा लिया जाए और उनके उचित मूल्य रखे जाएं जिससे उन निविदाकर्ताओं को अलग रखा जा सके जो की वास्तव में कार्य करने में रुचि नहीं रखते।

3.5 भावों (कोटेशन) की प्राप्ति

विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक प्राप्त सभी भावों को अनुभाग में रखे गए भाव रिजस्टर में मुहरबंद लिफाफे से क्रम सं., दिनांक, फर्म का नाम और इन भावों को मंगाने के लिए कार्यालय के संदर्भ सं. अदि दर्ज कर लिए जाए। अनुभाग में कार्यरत ग्रेड "बी" / "सी" के एक अधिकारी द्वारा इस रिजस्टर की प्रविष्टियों की जांच की जाए और उन्हें अधिप्रमाणित किया जाए। निर्धारित तारीख और समय से पहले प्राप्त सभी भाव बिना खोले ही प्रबंधक / उप महाप्रबंधक की अभिरक्षा (कस्टडी) में रखे जाएं।

3.4 Calling for quotations:

In order to secure competitive rates, quotations in sealed covers will be invited in the personal name of Deputy General Manager, GAPD in Head Office and Officer - in - Charge in Regional Office / Sub Office / Training Establishment from approved firms / dealers in cases, where the estimated cost of articles / repairs exceed Rs. 5.000/- Letters issued to firms / dealers while inviting quotations must indicate about the bound definite specifications of the articles work and the date and time upto which and quotations will be received. No purchases will be made without calling for quotations from atleast five approved firms / suppliers Where the total cost of the articles to be purchased is less than Rs. 1000/-, orders may be placed with approved firms which generally offer competative rates and quotations need not be invited.

Where Head Office's sanction is necessary for expenditure such quotations / tenders may be obtained in duplicate by the Regional Offices and one copy of the same will be forwarded together with a comparative statement and the recommendation of officer - in - charge for necessary approval/sanction.

Where the cost of the work to be executed or article/s to be purchased is estimated to be Rs.1,00,000/- and above, tenders will be obtained by publishing an advertisement in 2-3 leading daily newspaper, one of which should be of Regional Language. Before doing so, however, a complete set of tender documents indicating clearly the special conditions and general specifications of the work to be carried out by tendering parties will be prepared and got approved by Head Office. The tender documents may be cyclostyled and suitably priced to keep out tenderers who may not be really interested in the job.

3.5 Receipt of Quotations :

All quotations received upto the specified time and date will be entered in the Quotations Register maintained in the Section with particulars of serial number, date, name of the firm and office reference for calling such

3.6 भाव (कोटेशन) खोलना

खोले गए / प्राप्त भाव विनिर्दिष्ट तारीख और समय, यदि कोई हैं, पर या भावों की प्राप्ति के अंतिम दिन के आगामी कार्य दिवस को उपमहाप्रबंधक / प्रबंधक, साप्रपवि, प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी और प्रेड "डी " / "बी " / "ए " के अन्य ादो अधिकारियों के समक्ष खोले जाएंगे और जो वहाँ उपस्थित हैं, लिफाफे पर और साथ ही साथ प्रस्तुत भावों के प्रत्येक प्रपत्र पर अपने आद्यक्षर करेंगे । जहां निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं, उस अवसर पर निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमित दी जा सकती है ।

उपर्युक्त अधिकारियों / प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भाव / निविदाएं खोले जाने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भाव / निविदाएं और उसके अनुलग्नकों, साथ ही साथ उनमें यदि कोई संशोधन किया गया है, पर भाव रिजस्टर में उसके लिए निर्धारित स्थान पर दिनांक सहित आद्यक्षर किए जाते हैं।

निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति में भाव (कोटेशन) खोले गए हस्ताक्षर

दिनांक और समय

उप महाप्रबंधक

प्रवंधक

उप प्रबंधक

विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी

तत्पश्चात भावों के ब्यौरे भाव (कोटेशन) रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे ।

3.7 भावों का निपटान

यदि क्रय / मरम्मत हेतु व्यय, जिनके लिए भाव अमित्रत किए गए हैं, राष्ट्रीय बैंक व्यय नियमों के अंतर्गत साप्रपिव के उपमहाप्रबंधक / क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी की मंजूरी सीमाओं के अंदर हैं तो भाव रजिस्टर और कार्यालय संस्तुतियाँ, मंजूरी / अनुमोदन के लिए उन्हें quotation as appearing on the sealed cover. The entries in this Register will be checked and authenticated by an officer in Gr. 'B' / 'C' attached to the Section. All quotations received before the stipulated date and time will be kept unopened in the custody of Manager / Deputy General Manager

3.6 Opening of Quotations

The quotations received will be opened on the date and time specified, if any, or on the working day following the last date for receipt of quotation in the presence of Deputy General Manager / Manager of GAPD, Head Office- / Officer - in - Charge at Regional Office and two other officers in Gr. 'D' / 'C' / 'B' / 'A' who are present will subscribe their initials on the cover as well as on every sheet of the quotation submitted. Where tenders are invited by an advertisement, the tenderers or their representatives may be allowed to be present on the occasion.

After the quotations / tenders are opened in the presence of the above said officials / representatives (it will be ensured that quotations / tenders are opened in the presence of the said officials / representatives) it will be ensured that the quotations / tenders and enclosures thereof as well as corrections therein if any, will be initialled with date in the space provided therefor in the quotation register.

Quotations opened in the presences of officials.

Deputy General Manager

Manager

Deputy Manager

Development Officer/Assistant ?

Development Officer

The particulars of the quotations will then be entered in the Quotation Register.

Signature Date and time

प्रस्तुत की जाएं। सामान्यतः भाव विशिष्टताओं और सामग्री की गुणवत्ता इत्यादि के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। जहाँ निम्नतम भाव को छोड़कर अन्य भावों को स्वीकार किया जाता है वहाँ मंजूरी प्राधिकारी भाव रजिस्टर में उच्चतर भाव का चयन करने के कारणों का उल्लेख करें और उस पर दिनांक के साथ अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें। ऐसे मामलों में, जहाँ किसी विशेष मद के लिए कोई भी भाव स्वीकार नहीं किया गया उसके कारणों का भी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा भाव रजिस्टर में उल्लेख किया जाए। आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई दरों में वृद्धि करने की संभारित मांग से बचने के लिए, वस्तुओं की आपूर्ति / कार्य करने के आदेश यथा शीघ संबंधित फर्म को दे दिए जाएं। किसी भी मामले में यह अवधि भाव के अनुमोदन ओर व्यय की मंजूरी की तारीख के एक सप्ताह से अधिक न हो।

पूर्ति और व्ययन महा निदेशालय (डी जी एस एण्ड डी) की देरें

जड़बस्तु अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ तक संभव हो खरीदी गई वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो (पहले आईएसआई) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती हों । बड़ी मात्रा में खरीद और उच्च लागत वाली वस्तुओं के मामले में, अनुभाग इन्हें डी जी एस एण्ड डी दरों पर ही खरीदें ।

iii) आपूर्ति आदेश देना

आदेश देते समय, फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को बिल की राशि को रूपये में पूर्णांकित करने की सलाह दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार आपूर्ति आदेश देने के बाद दिए गए मू यों में वृद्धि, विनिर्देशों / भावों में परिवर्तन इत्यादि के किसी भी अनुरोध / प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.7(क) खरीद के लिए समिति का गठन

ठेका, जिनमें रु. 5,000/- (प्रधान कार्यालय के लिए रु. 10,000/-) का खर्च शामिल है, देने के अलावा जड़वस्तुएं / स्टेशनरी की मदों की एक बारगी खरीद इस प्रयोजन के लिए विशेष रुप से गठित खरीद समिति द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। समिति का गठन नीचे लिखे अनुसार होना चाहिए:

3.7 (i) Disposal of quotations:

Where the expenditure for purchase / repairs relating to the inviting of quotations is within the sanctioning power of the Deputy General Manager of GAPD / Officer - in - Charge in Regional Office under the National Bank's Expenditure Rules, the quotations register and the office recommendation will be put up to him for sanction / approval. Generally, the quotation will be accepted depending on the specifications and quality of articles etc. Where the quotations other than the lowest are accepted, the sanctioning authority will record in the Quotation Register the reasons for selecting the higher quotation and accord approval under his full signature with date. In case none of the quotations were accepted for any particular item, the reasons therefor will also be recorded in the quotation register by the sanctioning authority. With a view to prevent any possible demand by supplier for escalation in the quoted rates, orders for supply of articles / execution of work may be placed with the concerned firms as expeditiously as possible and in any case not later than a week from the date of approval of the quotation and sanction of expenditure.

3.7 (ii) DGS&D RATES Directorate General of Supplies

The DSS will ensure that the articles purchased, to the extent possible, will conform to the quality specifications laid down by the Bureau of Indian Standards (formerly ISI). In the case of bulk purchases and articles of high cost, the section may purchase the same at DGS&D rates.

3.7 (iii) Placing Orders

While placing orders, the firms / suppliers will be advised to round off the amount of the bill to the nearest rupee. It will be ensured that once orders are placed, no request / representation for increase in the cost quoted, change in specifications / quotation etc. shall be entertained.

		प्रधान कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	अध्यक्ष	महाप्रबंधक (विभाग)	उपमहाप्रबंधक / प्रबंधक (प्रशासन) (अर्थात प्रभारी अधिकारी से इतर)
2.	सदस्य	महाप्रबंधक (जीएपीडी)	प्रबंधक
3.	सदस्य	महाप्रबंधक (विभाग)	उपप्रबंधक (विकास अधिकारी) (तकनीकी)
4.	सदस्य	महाप्रबंधक (विभाग)	प्रबंधक / उपप्रबंधक जीएडी से इतर विभाग के
5.	सदस्य सचिव	उपमहाप्रेबंधक (जीएपीडी)	उपत्रवंधक (प्रशासन)

- 2. खरीद समिति को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव ज्ञापन के रूप में होने चाहिए।
- खर्च की प्रशासनिक मंजूरी प्रस्तावों को खरीद समिति को प्रस्तुत करने से पहले ही प्राप्त कर ली जाये ।
- सिमिति की बैठक जरूरत के अनुसार होगी जिसके लिए सदस्यों को पहले से ही सूचना दी जायेगी ।
- खरी . समिति द्वारा मंजूर की जाने वाली मदों की खरीद की कार्यविधि अमल में रहने वाले अनुदेशों के अनुरूप होगी ।
- 3.8 आपूर्ति आदेशों तथा बिलों के भुगतान और प्राप्ति इत्यादि का रिकार्ड रखना

जिन वस्तुओं के लिए खरीद के आदेश दिए गए हैं उनकी समय पर प्राप्ति हो इस दृष्टि से साप्रपिव - जड़वस्तु अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए, कि फर्म को दिए गए आदेश निर्धारित अविध अर्थात 15 से 30 दिन में निष्पादित कर दिए गए हैं, भाव / क्रय रजिस्टर की प्रविष्टियों पर गहन निगरानी रखेगा ।

3.7 (iv) CONSTITUTION OF PURCHASE COMMITTEE

1. One time purchase of Dead Stock Articles / Stationery items besides awarding of contracts involving an expenditure exceeding Rs. 5,000/- (Rs. 10,000/- for Head Office) should be approved by a Purchase Committee constituted specially for the purpose. The constitution of the Committee should be as under:-

	Head Office	Regional Office
1. Chairman	GM - (Deptt.)	DGM/Mgr. (Admn.) (i.e. other than OIC)
2. Member	GM - GAPD	Mgr
3. Member	GM - (Deptt.)	DM / DO (Tech)
4. Member	GM - (Deptt.)	Mgr. / DM of a Department other than GAD
5. Member Secretary	DGM - GAPD	DM (Admn.)

- The proposals put up to the Purchase Committee may be in the form of a Memorandum.
- Administrative sanction of the expenditure may be obtained before the proposals are put up to the Purchase Committee.
- The meeting of the Committee may be held as often as necessary for which a notice will be given to the members in advance.
- The procedure for the purchase of items to be cleared by the Purchase Committee will be in accordance with the instructions in force.

3.9 फर्मों /आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सभी बिलों को आवक बिल रिजस्टर में दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिल प्राप्ति रिजस्टर में नीचे दिये अनुसार प्रमाणपत्र रिकार्ड किया जाता है —

" प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य कराया गया है / प्राप्त वस्तुएं अच्छी हालत में प्राप्त हुई हैं और विनिर्देशों के अनुसार हैं और उन्हें और जड़वस्तु सूची रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया हैं "। इशके पश्चात बिलों की संवीक्षा (स्कूटनी) की जाएगी और उन्हें समुचित प्राधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पास किया जाएगा। बिल का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने के पश्चात बिलों के ब्यौरे उनके भुगतान की तारीख आवक बिल रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। इस प्रकार के सभी भुगतान केवल "आदाता खाता" चैकों के माध्यम से किये जाएंगे और कोई भी भुगतान नकद या वाहक चैक से नहीं किया जाएगा।

जड़ वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियाँ करने लिए निम्नलिखित रजिस्टरों में पृष्ठ निर्धारित कर दिए जाएं।

- i) प्राप्त भाव (कोटेशन) रजिस्टर- जड़वस्तु र ॥ नमूना संलग्न
- ii) क्रय आदेश और बिल रजिस्टर जड़वस्तु र 7 नमूना संलग्न
- iii) आवक बिल रिजस्टर जड़वस्तु र 12 नमूना संलग्न
- iv) जड़वस्तुओं को दर्ज करना और संख्या देना
- 4.1 जड़वस्तु अनुभाग / प्रभाग द्वारा एक जड़वस्तु क्रय रिजस्टर (जड़वस्तु र- ।) रखा जाएगा जिसमें जड़वस्तु के कार्य से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (सविअ) / विकास अधिकारी (विअ) द्वारा, दिए गए आदेश (ऑर्डर) के अनुसार खरिदी गई सभी जड़वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और विनिर्देशनों से संबंधित भौतिक सत्यापन करने के बाद उनके ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे । इस रिजस्टर में दर्ज सभी प्रविष्टियाँ सविअ / विअ द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी । अनुभाग के उपप्रवंधक सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रविष्टियाँ की गई हैं और विधिवत् अधिप्रमाणित की गई हैं । इस रिजस्टर और अन्य संबंधित रिजस्टरों के रखरखाव से संबंधित अन्य ब्यौरे इस अध्याय के पैरा 16 में दिए गए हैं ।

Records of orders placed and receipt and payment of bills etc.

With a view to monitor timely receipt of articles for which orders have been placed, the GAPD - Dead Stock Section will keep a close watch on the entries in the Quotations / Purchase Register to ensure that orders placed with the firms are executed by them within the stipulated time viz. 15 to 30 days.

3.9: All bills received from the firms/suppliers will be entered in the Inward Bills Register. It may be ensured that a certificate as under is recorded in the bills received register." Certified that the above works have been carried out / articles received in good condition, conform to the specifications and have been entered in the Dead Stock Inventory Register. The bills thereafter, be scrutinised and sanctioned for payment by the appropriate authority. The particulars of the bills, the date of payment thereof will be entered in the Inward Bills Register, after the bill is finally paid. All such payments will be made only through 'Account Payee' cheques and no payment will be made in cash or through bearer cheque;

RECGRDING AND NUMBERING OF DEAD STOCK ARTICLES

- A Dead Stock Purchase Register (DSR1) will be maintained by Dead Stock Section / Administration Division wherein particulars of all dead stock articles purchased will be entered after the physical verification regarding their quality, quantity and specifications as per order is carried out by the Assistant Development Officer (ADO) / Development Officer (DO) looking after the dead stock work. All the entries in this register will be authenticated by the said ADO / DO. The Deputy Manager of the Section shall ensure that all the entries have been made and duly authenticated. Further details regarding maintenance of this register and other relative registers are given in paragraph 16 to this chapter.
- 4.2 For facilitating effective control over the dead stock articles and

4.2 अड़वस्तुओं पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रीय बैंक की संपत्ति की पहचान की दिल्ल के से, सभी जड़वस्तुओं को क्रमानुसार और वर्ग-वार संख्या दी जाएगी। वस्तुओं पर वस्तु संख्या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में दी जाएगी।

4. इंगित किया गया है। इसके अलावा संख्या देने के दो अलग-अलग प्रकार अपनाए जाएंगे कि जुंबर की जड़वस्तुओं पर शीर्षक राष्ट्रीय बैंक होगा जबिक आवासीय क्वार्टरों / आगन्तुक कारी प्लैटों पर राबैं- नि होगा। साथ ही कुर्सी, मेज जैसी विशेष वर्ग की जड़वस्तुओं पर की क्रम संख्या और राष्ट्रीय बैंक का संक्षिप्त रूप देते हुए जड़वस्तु सूची रजिस्टर (जड़वस्तु) में उनकी प्रविष्टि के अनुसार क्रम से संख्या दी जाएगी।

उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :-

3.7

कार्यालय फर्नीचर	वस्तु सूची सं.	
	अंग्रेजी	हिन्दी
_कुर्सियाँ	2 एन बी 1	2 राबैं 1
	2 एन बी 2	2 राबें 2
· ·	2 एन बी 3	2 राबें 3
अलमा।स्याँ	5 एन बी 1	5 राबें 1
आवासीय फर्नीचर	5 एन बी 2	5 राबैं 2
मंजें	1 एन बी आर 1	1 राबैं - नि 1
	1 एन बी आर 2	1 राबैं - नि 2
कुर्सियाँ	2 एन बी आर 1	2 राबैं - नि 1
i, v x ,	2 एन बी आर 2	2 राबैं - नि 2

with a view to identify National Bank's property all dead stock articles will be numbered serially and category - wise. Inventory numbers to the articles will be given both in Hindi and English.

All major articles of dead stock will be assigned distinct serial numbers as indicated in the Annexure. Further, there will be two distinct numbering patterns; the dead stock articles at offices will bear the legend "NB" while the articles of dead stock held at the residential quarters / visiting officers flats, will bear "NB-R". Further, dead stock articles of a particular category viz., chairs, tables, etc. will be numbered in a running serial order, as per their entry in the Dead Stock Inventory Register (DSR2) prefixed by the serial number of the category and the abbreviated name of NABARD. A few examples are shown below:

Office Furniture	Inventory No.
1	English
Chairs	2 NB 1
1	2 NB 2
10	2 NB 3
Cupboards	5 NB 1
	5 NB 2
Residential furniture	
Tables	I NB-R I
	I NB-R 2
Chairs	2 NB-R 1
0	2 NB-R 2

Other sundry items of dead stock articles not included in the major items

जड़वस्तुओं का आबंटन

- 5.1 जैसे ही नई जड़वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग उनको क्रम संख्या देने को व्यवस्था करेगा उसके पद्यात इन वस्तुओं की संबंधित वस्तुसूची सूचनाएं और वस्तुसूची संख्याएं देते हुए उन्हें विभिन्न विभागों / प्रभागों को आवंटित करेगा । वाटर कूलर, ट्यूबलाईट जुड़नार, छत के पंखे इत्यादि जैसी वस्तुएं, जो किसी विभाग विशेष को आवंटित नहीं की जाती हैं, रखवाल की देखरेख में रहेंगी और उन्हें उसके नाम से अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाएगा ।
- 5.2 विभिन्न विभागों / प्रभागों में जड़वस्तुओं को विभागों / प्रभागों का नाम दशनिवाली अलग या अक्षर नहीं दिए जाएंगे । तथापि, विभिन्न विभागों / प्रभागों को उनको / उनको भेजी गई जड़वस्तुओं को क्रम संख्या सूचित की जाएगो और उससे विभागीय जड़वस्तु सूची रिजस्टर प्रारूप - जड़वस्तु - र - 3 में रिकार्ड रखा जाएगा ।
- 5.3 एक विभाग / प्रभाग को आबंटित सामग्री जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग के प्रभारी प्रबंधक / उपप्रबंधक के लिखित आदेश के बिना दूसरे विभाग / प्रभाग को हस्तांतरित नहीं की जाएगी । ऐसे हस्तांतरणों को प्रमुख जड़वस्तु सूची रजिस्टर (जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग) और जारी परवर्ती वस्तुसूची सूचनाओं में दर्ज होने के बाद ही विभागीय जड़वस्तु सूची रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा ।

जड़वस्तु सूची सूचनाएँ जारी करना

6.1 जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग का प्रभारी सहायक विकास अधिकारी अपने हस्ताक्षर से विभन्न विभागों / प्रभागों को वस्तुसूची सूचनाएँ (साप्रपवि - जड़वस्तु - फा - 1)जारी करेगा। वस्तु सूची सूचनाओं को क्रम से संख्या दी जाएगी और संबंधित विभाग / प्रभाग को आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं की वस्तुसूची संख्या को भी दर्शाया जाएगा। प्रत्येक विभाग / प्रभाग विभागीय वस्तुसूची रिजस्टर में वस्तुवार रिकार्ड रखेगा जिसमें उनके विभाग / प्रभाग में रखी गई जड़वस्तुओं की वस्तुसूची संख्याओं को प्रदर्शित किया जाएगा और इस पर संबंधित अधिकारी के आद्यक्षर होंगे।

will be numbered with Code No.49 in the Annexure.

ALLOTMENT OF DEAD STOCK ARTICLES

Section / Administration Division will arrange to number them in the serial order and then allot to different Departments / Divisions, indicating in the relative Inventory Advices the Inventory Numbers of these articles also. Articles like water coolers, tube light fixtures, ceiling fans, etc. which are not allotted to any particular department will be entrusted to the Caretaker's charge and recorded under a separate folio under his name.

- Articles of dead stock held in different Departments / Divisions will not bear any distinctive number or alphabet to indicate Department's Division's name. The Departments / Divisions will, however, be advised of the serial numbers of articles of dead stock held by / sent to them and therefrom record will be maintained in the Departmental Dead Stock Inventory Register (Form DSR 3).
- 5.3 An article allotted to one Department / Division will not be transferred to another Department / Division without the written orders of the Manager / Deputy Manager in charge of the Dead Stock Section / Administration Division. Such transfer will be recorded in the Departmental Dead Stock Inventory Register only after it has been posted in the Main Dead Stock Inventory Register (of Dead Stock Section / Administration Division) and subsequent Inventory Advices issued.

6. ISSUE OF DEAD STOCK INVENTORY ADVICES

6-1 Inventory Advices (GAPD - DS - FI) will be issued to the various Departments / Divisions under the signature of the Assistant Development Officer in charge of Dead Stock Section / Administration Division. Inventory Advices will be serially numbered and will also indicate the Inventory Number of all the articles supplied to the concerned Department

7. विभागों / प्रभागों द्वारा जड़वस्तुओं का अभिइलेख (रिकार्ड) रखा जाना

7.1 विभिन्न विभागों / प्रभागों के प्रशासन अनुभाग "विभागीय जड़वस्तु सूची रिजस्टर" (प्रारूप जड़वस्तु - र - 3) में आबंटित जड़वस्तुओं का रिकार्ड रखेंगे । प्रशासन प्रभारी / सहायक विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस वस्तुसूची रिजस्टर में आबंटित जड़वस्तुओं से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ अद्यतन की जाती हैं, विधिवत् सत्यिपत हैं और अधिप्रमाणित हैं । इस रिजस्टर पर संबंधित विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएँगे ।

7. (क) ब्रीफ केस देना

प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय का जड़वस्तु अनुभाग अधिकारियों और अनय पात्र स्टाफ सदस्यों को दिए गए ब्रीफ केसों का उचित रिकार्ड रखेगा। इस प्रयोजन हेतु रखे गए रिजस्टर में अन्य बातों के साथ - साथ उनकी लागत, खरीद की तारीख इत्यादि से संबंधित ब्यौरे दर्शाए जाएँ जिससे उनके वापस लेने / पुन: जारी करने में सहायता मिलेगी। ब्रीफ कसों हेतु पात्रता, उन्हें रखने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए कार्यालय मासंप्रवि - कार्मिक नीति प्रभाग द्वारा समय - समय पर सूचित नवीनतम अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

7 (ख) गणक (कैलकुलेटर) जारी करना

कार्यालय खरीदे गए और विभिन्न / अधिकारियों को जारी सभी प्रकार के कैलकुलेटर (पॉकेट / प्रिंटर / साइन्टिफिक) का उचित रिकार्ड रखेंगे । पूर्ण हस्ताक्षर और दिनांक के साथ अपेक्षित प्राप्ति सूचना के बिना गणक किसी भी अधिकारी को नहीं दिया जाएगा । रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारुप अनुबन्ध - जड़वस्तु 14 में दिया गया है।

विभागों / प्रभागों द्वारा जड्वस्तुओं का सत्यापन

8.1 विभाग / प्रभाग प्रत्येक तिमाही में अर्थात 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को विभागीय जड़वस्तु सूची रिजस्टर की प्रविष्टियों के साथ वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेंगे और प्रधान कार्यालय में संबंधित विभाग / प्रभाग के प्रबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी अधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

Division. Each Department / Division will maintain an article - wise record in Departmental Inventory Register indicating Inventory Numbers of dead stock articles held by it, under the initial of the concerned Officer.

Transport strain to an

RECORD OF DEAD ARTICLES BY THE DEPARTMENTS / DIVISIONS

7.1 Each Administration Section of the various Department / Divisions will maintain a record of the allocated dead stock articles in the "Departmental Dead Stock Inventory Register" (Form DSR-3). The Assistant Development Officer in charge of Administration will ensure that all the entries pertaining to the allotted dead stock articles are posted upto date, duly verified and authenticated in this Inventory Register. This Register will also be countersigned by the concerned DO.

7 (a) Issue of Brief Cases:

The Dead Stock Sections at HO / RO will maintain a proper record of Brief Cases issued to Officers and other eligible staff. A register maintained for the purpose will reflect inter alia particulars relating to cost, date of purchase, etc, so as to facilitate its return / reissue. For detailed procedure on eligibility / retention of brief - cases, the offices will follow instructions in force as advised by HRMD - PPD from time to time.

7 (b) Issue of Calculators

The Offices will maintain a proper record of all types of calculators (Pocket / Printer / Scientific) purchased and issued to various.

Departsments / Officers. The calculators will not be issued to any officer without requisite acknowledgement with full signature and date. The proforma of Register to be maintained is furnished in Annexure - DS R 10 500 500

ुर्वास्थ्यक्रम प्रदेश क्षेत्र । । व । व । व । व । व । व

- 8.2 प्रधान कार्यालय में संबंधित विभाग / प्रभाग का प्रबन्धक / क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी अधिकारी प्रत्येक छमाही में अर्थात 30 जून और 31 दिसम्बर, को साप्रपवि (जड़वस्तु अनुभाग) प्रधान कार्यालय को किए गए एक भौतिक सत्यापन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे और उक्त प्रमाणपत्र इस प्रकार के सत्यापन के 7 दिन के अंदर प्रधान कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। यदि वस्तुओं में कोई अधिकता या कमी पाई गई है तो इस भिन्नता के कारणों को प्रमाणपत्र में दर्शाया जाए और उस वस्तु को ढूँढ़ निकालने के प्रयास किए जाएँ। जड़वस्तु सूची रिजस्टर में असंगति / असंगतियों के बारे में आवश्यक टिप्पणियाँ दर्ज की जाएँगी।
- 8.3 प्रधान कार्यालय में सामान्य प्रशासन और परिसर विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासन विभाग, बैंक का लेखा वर्ष समाप्त होने से एक माह पूर्व विभिन्न विभागों / प्रभागों की सभी जड़वस्तुओं को सत्यापित करने हेतु एक सहायक विकास अधिकारी / विकास अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे । इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी, सत्यापन के पश्चात विभागीय जड़वस्तु सूची रिजस्टर में इस आशय से अपने हस्ताक्षर करेगा कि सभी वस्तुओं का सत्यापन कर लिया गया है । यह अधिकारी जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को भी, जैसा भी मामला हो, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुस करेगा ।
- 8.4 प्रत्येक विभाग / प्रभाग की वस्तुओं की सूची का, जो वस्तु सूची रिजस्टर में दर्ज हैं, जून में वार्षिक रूप से संबंधित विभाग / प्रभाग में रखे गए मुख्य जड़वस्तु सूची रिजस्टर से मिलान किया जाएगा और मिलान के इस तथ्य को दोनों रिजस्टरों में रिकार्ड किया जाएगा इस पर संबंधित विभाग / प्रभाग के उप प्रबन्धक / विकास अधिकारी के आद्यक्षर होंगे । क्षेत्रीय कार्यालय प्रति वर्ष एक मिलान विवरण (रिकंसिलेशन स्टेटमेंट) (प्रारुप जड़वस्तु फा 4) में साप्रपवि (जड़वस्तु अनुभाग) प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेगा ।

9. जड़वस्तु सामानों की मरम्मत

9.1 जब कभी किसी जड़वस्तु सामान की मरम्मत कराई जानी हो, संबंधित विभाग / प्रभाग में जड़वस्तु का कार्य देखने वाला प्रभारी सहायक विकास अधिकारी, प्रबन्धक / उपप्रबंधक से परामर्श के बाद, वस्तु सूची संख्या सहित कराई जाने वाली मरम्मत का ब्यौरा देते हुए जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को मामले की सूचना देगा, तब जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग तुरन्त जड़वस्तु की अपेक्षित मरम्मत कराने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

- VERIFICATION OF DEAD STOCK ARTICLES BY THE DEPARTMENTS / DIVISIONS
- 8.1 Once a quarter i.e. on 30th June, 30th September, 31st; December and 31st March, the Department / Division will carry out the physical verification of the articles with reference to the entries in the Departmental Dead Stock Inventory Register and submit a certificate to the Manager of the respective Department / Division at Head Office / Officer in Charge at Regional Office.
- 8.2 The Manager of the respective Department / Division at Head Office / Officer in Charge at Regional Office will submit a physical verification certificate (Form DS F3) to GAPD (Dead Stock Section) at Head Office every half year i.e. as on 30th June and 31st December and the said certificate should reach Head Office within 7 days of such verification. Any excess or shortage detected in respect of any article will be shown in the certificate with . reason for the variation and efforts made to detect the article. Necessary remarks about the discrepancy / ies will be made in the Dead Stock Inventory Register.
- 8.3 The list of articles held by each Department / Division as recorded in its Inventory Register will be reconciled with the Main Dead Stock Inventory Register by the concerned Department / Division annually in June and the fact of reconciliation recorded in both the registers under the initials of Deputy Manager / DO of the respective Department / Division. The Regional Offices will have to submit a Reconciliation Statement (Form DS F4) to GAPD (Dead Stock Section) at Head Office, annually.

PARS TO DEAD STOCK ARTICLES

9.1 Whenever repairs to any dead stock articles have to be carried out the ADO in charge of Dead Stock work of the concerned Department / Division will, after consulting the Manager / Deputy Manager, report the

8

- 9.2 सेवा संविदा (सर्विस कान्ट्रेक्ट) के अंतर्गत शामिल जड़वस्तुओं के मामले में संबंधित विभाग / प्रमाग सीधे ही उस फर्म के साथ सम्पर्क करें, जिसके साथ सेवा संविदा करार किया गया है और उन्हें आवश्यक मरम्मत हेतु सूचित करें । तथापि, जहाँ मरम्मत खर्च रू. 200/- से ज्यादी होने का अनुमान है, मरम्मत के अनुमान आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु जड़वस्तु अनुभाग को भेज दिए जाएँ । जहाँ मरम्मत / बदलाई खर्च रू. 200/- से कम है, संबंधित विधिवत् प्रमाणित बिल यथासमय अदायगी हेतु जड़वस्तु अनुभाग को भज दिये जाएँ ।
 - 9.3 जड़वस्तु की खरीद के समय जारी गारंटी / वारंटी कार्डों को अलग फाईल में अनुभाग के उपप्रबन्धक की अभिरक्षा (कस्टडी) में रखा जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटी अवधि के दौरान बैंक शुल्क रहित सेवा / पुर्जों को बदलने की सुविधा का लाभ उठा सकें ।
 - 10. जड़वस्तुओं की समय समय पर साफ सफाई (सर्विसिंग)
- 10.1 बैंक के व्यय नियमों के अंतर्गत वातानुकूलन (एयर कंडिशनिंग) इकाइयों विद्युत संस्थापनों, टंकण यंत्रो, मशीनों, वाहनों की मरम्मत और उनके रखरखाव, फर्नीचर की पॉलिश इत्यादि जैसी जड़वस्तुओं की सफाई से संबंधित कार्य कराने हेतु राशि खर्च करने की अनुमित दी जाती है। इस प्रयोजन हेतु कार्यालय संबंधित सेवा क्षेत्र की विख्यात फर्मों या उनके एजेन्टों के साथ, वार्षिक आधार पर, सेवा संविदा (सर्विस कान्ट्रेक्ट) करेगा यह (जहाँ तक संभव हो) बैंक के लेखा वर्ष के अनुरुप होगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कार्य/ मरम्मत तुरन्त और स्वीकृत अंतरालों पर की जाती है।
- 10.2 निम्नलिखित प्रकार की मशीनों के मामले में, संबंधित मशीनों के समक्ष दर्शीए गए अंतरालों पर कार्यालय द्वारा सर्विसिंग की व्यवस्था की आए ।
- (क) टंकण यंत्र (सभी मार्का के)

मासिक

(ख) जेरोक्स, डुप्लिकेटिंग और फ्रैंकिंग मशीन, तिमाही / छमाही / जैसा भी कैलकुलेटर और अन्य मशीनें निर्माणकर्ता या साफ सफाई (सर्विसिस) अभिकरण द्वारा

सूचित किया गया हो ।

matter to the Dead Stock Section / Administration Division giving details of repairs to be carried out along with its inventory number. The Dead Stock Section / Administration Division will then make suitable arrangement to carry out the required repairs to the dead stock article promptly.

- 9.2 In the case of Dead Stock articles covered under service contract, the Deptt. / Division, concerned may contact directly the firm, with whom the Service Contract had been entered into, and advise them to carry the necessary repairs. Where, however, the charges for repairs are likely to be in excess of Rs. 200, the estimate for repairs may be passed on to the Dead Stock Section for further necessary action. Where the repair / replacement charges are less than Rs. 200/-, the relative Bill, duly certified, may be passed on to DSS for effecting payment in due course.
- 9.3 The guarantee / warranty cards issued at the time of purchase of Dead Stock articles may be filed separately and kept in the custody of Deputy Manager of the Section, so as to ensure that the benefit of the free service / replacement of parts during guarantee period could be availed of by the Bank.

PERIODICAL SERVICING OF DEAD STOCK ARTICLES

10.1 Under the Bank's Expenditure Rules, Offices are allowed to incur expenditure to attend to the work relating to servicing of dead stock articles such as air conditioning units, electrical installations, typewriters, machines, repairs and maintenance of vehicles, polishing of furniture, etc. For this purpose, Offices will enter into service contracts with reputed firms in respective lines of services, or their agents, on an annual basis, which will correspond, (as far as possible), to the Bank's accounting year. Care will be taken to see that the work / repair is undertaken promptly and at the agreed intervals.

उक्त समय सीमा मशीनों की गारंटी अवधि के दौरान बिक्री करार के एक भाग के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई सर्विसिंग व्यवस्था के लिए लागू नहीं होगी।

अग्निशामक (फायर इक्सर्टिग्विशर)

10.3 कार्यालय परिसर और स्टाफ आवासों में लगाए गए अग्निशामकों के भामले में कार्यालयों द्वारा प्रत्येक छ: माह में उनके निरीक्षण का कार्य सक्षम सर्विसिंग फर्मों को सौपा जाएगा और आवश्यकता होने पर उनको बदलने / पुन: भरवाने की व्यवस्था की वाएगी । प्रत्येक अग्निशामक के लिए एक निरीक्षण चार्ट रखा जाएगा जिसमें निरीक्षण की तारीख, निरीक्षणकर्ता व्यक्ति / अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होंगे । सामान्यत: कार्यालयों में लगाए गए अग्निशामकों के सक्षम रूप से कार्य करने के लिए आवधिक (पिरिओडीकल) अंतरालों पर अग्निशामकों के घटकों (कम्पोनेंट) की सफाई की जानी और उसमें ग्रीस लगाया जाना तथा उनको उचित देखमाल और एखरखाव किया जाना आवश्यक है । अग्निशामकों के संबंध में इसके उपयोग के अनुदेश इत्यादि हमेशा हिन्दी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दिए जाते हैं । यदि संभव हो तो खरीद करते समय ही ये (अनुदेश) उत्पादक से प्राप्त किए वाएँ।

11. चाबियों की अभिरक्षा (कस्टडी)

- 11.1 प्रधान कार्यालय में सभी हुप्लोकेट चाबियाँ संबंधित विभाग / प्रभाग के प्रबन्धक की अभिरक्षा में रहेंगी और उसके लिए प्रत्येक विभाग / प्रभाग में चाबियों का रिजस्टर (प्रारुप जड़वस्तु र 6) रखा जाए । क्षेत्रीय कार्यालयों में, सभी अतिरिक्त चाबियाँ उपप्रबन्धक (प्रशासन) की अभिरक्षा में रखी जाएँ और जड़वस्तु का कार्य देखने वाले सहायक विकास अधिकारी द्वारा चाबियों का रिजस्टर रखा जाए ।
- 11.2 जब कभी अतिरिक्त चाबियों का कार्यभार संभालने वाले अधिकारो के पदभार में परिवर्तन होता है, तो पदभार प्रहण करने वाला नया अधिकारो चाबियों के रजिस्टर में उल्लिखित अतिरिक्त चाबियों का सत्यापन करेगा, चाबियाँ लेगा और डुप्लीकेट चाबियों के रजिस्टर पर चाबियाँ लेने के हस्ताक्षर करेगा। जब स्यायी अतिरिक्त चाबीधारक अधिकारी 15 दिन से अधिक की छुट्टीपर जाता है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.2 In the case of the following kinds of machines, their servicing will be arranged by offices at intervals indicated against the respective articles -

- a) Typewriter (of all makes) Monthly
- b) Xerox, Duplicating, & franking Quarterly / Half yearly / machines, calculators and other as advised by the manufacturers or servicing

agencies.

NOTE -

The above periodicity will not apply for servicing arranged by the suppliers during the guarantee period of the machines as a part of the sale agreement.

Fire - extinguishers;

10.3 In the case of fire extinguishers installed at office premises and staff quarters, their inspection will be entrusted by the offices to competent servicing firms every six months and their replacement / refilling arranged whenever necessary. An inspection chart will be maintained for each fire extinguisher indicating the date of its inspection, name and signature of the person / official who carried out the inspection. For efficient performance of extinguishers generally installed in offices, proper care and maintenance including cleaning and greasing the components of the extinguishers is necessary at periodical intervals.

The operative instructions pertaining to fire, extinguishers, etc., may be invariably displayed in Hindi, English and the local clanguage. If possible, the same may be procured from the manufacturers at the time of purchase.

CUSTODY OF KEYS

11.1 At Head office the duplicates of all keys will be kept in the custody of the Manager of the concerned Department / Division and,

12. कम मूल्य वाली वस्तुओं की वस्तु सूची

- 12.1 चीनी के बर्तन (क्रॉकरी), टार्च, लालटेन, कैंची, ताले, नंबरिंग मशीनें इत्यादि (जो "अन्य व्ययखाता विविध में नामें डालकर खरीदी जाती हैं) जैसी सभी स्थाई वस्तुओं की सूची जिनक मूल्य निर्धारित सीमा से कम है, कोई भी जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग द्वारा जड़वस्तु सूची रिजस्टर में अलग से इनकी प्रविष्टि की जायेगी । इनका उपयोग कर रहे विभागों / प्रभागों में भी विभागीय जड़वस्तु सूची रिजस्टर में इनका अलग से रिकार्ड रखा जाएगा । इन वस्तुओं का संबंधित सहायक विखास अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा वार्षिक अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के तथ्यों को संबंधित रिजस्टर में भी रिकार्ड किया जाएगा ।
- जड़वस्तुओं के लिए दिए गए आदेशों
 तथा बिलों की प्राप्ति और भगतान के अधिलेख (रिकार्ड)
- 13.1 जड़वस्तुओं की खरीद के लिए दिए गए आदेशों का उचित रिकार्ड रखने की दृष्टि से जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग द्वारा प्रारुप (जड़वस्तु र 7) में क्रय आदेश और बिल रिजस्टर रखा जाएगा । फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं / टेन्डर देने वालों को दिए गए आदेशों से संबंधित सभी ब्यौरे और निपटाए गए बिलों को तत्काल इस रिजस्टर में दर्ज किया जाएगा । बिल की अंतिम राशि को निकटतम ५० पैसे में पूर्ण किया जाए ।
- 13.2 जड़वस्तु कार्य को देखने वाले विकास अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह यह सुनिश्चित करने के लिए क्रय आदेश और बिल रिजस्टर की जाँच की जाए कि फर्म / आपूर्तिकर्ता / टेन्डर देने वाले के पास कोई आदेश बकाया तो नहीं है और जहाँ कहीं आवश्यकता हो, फर्म / आपूर्तिकर्ता / टेन्डर देने वालों देने वालों को अपने वायदे को पूरा करने हेतु लिखित रूप से या अन्यथा सूचित करते हुए उच्चित कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि वे अपना कार्य शीघ्रता से पूरा कर सकें।
- 13.3 फर्मों /आपूर्तिकर्ताओं / टेन्डर देने वालों से प्राप्त सभी बिलों की प्रविष्टि सबसे पहले आवक बिल रिजस्टर (फार्म जड़वस्तु रं 12) में की जाएगी तत्पश्चात् उपर संदर्भित कय रिजस्टर और बिल रिजस्टर में जड़वस्तु अनुभाग का प्रभारी सहायक विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा वि संदर्भाधीन व्ययों को खर्च करने के लिए सक्षम प्रधिकारी से विशिष्ट मंजूरी प्राप्त कर ली गई है वह बिलों को निम्नानुसार प्रमाणित भी करेगा।

therefore, the Register of keys (Form DSR -6) will be maintained in each Department / Division. At Regional Offices, duplicates of all keys will be kept in the custody of the Deputy Manager (Administration) and the Register of keys will be maintained by the Assistant Development Officer looking after the dead stock work.

11.2 As and when there is a change in the incumbency of the official holding charge of duplicate keys, the new incubent will verify all duplicate keys stated in the Register of keys, take over the keys and sign in the Register for having taken over charge of these duplicate keys. Similar procedure will be followed when the permanent incumbent holding charge of duplicate keys proceeds on leave etc. for more than 15 days.

INVENTORY OF ARTICLES OF SMALL VALUE

12.1 An inventory of all durable articles costing less than the prescribed limit such as crockery, torches, lanterns, scissors, locks, numbering machines etc. (which are purchased by debit to Other Expenses A/c - Miscellaneous) will also be recorded but separately in the Dead Stock Inventory Register by Dead Stock Section / Administration Division. A separate record will also be kept in the Departmental Dead Stock Inventory Register by the Department / Division using them. These articles will be verified physically at yearly intervals by the concerned ADO / DO and the fact of verification will also be recorded in the relative Register.

RECORD OF DEAD STOCK ORDERS PLACED & RECEIPT AND PAYMENT OF BILLS

13.1 With a view to have a proper record of the orders placed for purchase of dead stock articles; a Purchase Orders and Bills Register (Form DSR - 7) will be maintained by the Dead Stock Section / Administration Division. All particulars relating to the orders placed with

- "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वस्तुएँ अच्छी स्थिति में प्राप्त हुई हैं, विनिर्देशों और अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं और उन्हें स्टाक में शामिल कर लिया गया है"।
- 13.4 तत्पश्चात् बिल की संवीक्षा (स्कूटिनी) की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए मंजूरी दी जाएगी । बिलों के ब्यौरे और उसके भुगतान की तारीख क्रय और बिल रिजस्टर में दर्ज की जाएगी तथा अंत में संबंधित फर्म / आपूर्तिकर्ता / निविदादाता को बिल का भुगतान करने के पश्चात आवक बिल रिजस्टर में उसका निपटान (मार्क ऑफ) दर्ज किया जाएगा ।

14. मूल्य ह्रास प्रभारित (चार्जिंग) करना

14.1 सभी जड़वस्तुओं के वार्षिक मूल्य हास की गणना प्रधान कार्यालय में जड़वस्तु अनुभाग द्वारा और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित दरों पर या प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित तरीके / प्रक्रिया से संबंधित लेखा वर्ष के अंतिम दिन की जाएगी ।

	फर्नीचर और जुड़नार खाता	मूल्य हास दर
1)	पंखे और विद्युत उपकरण (कार्यालय / क्वार्टर्स)	15 %
2)	फर्नीचर और जुड़नार खाता (कार्यालय / क्वार्टर्स)	10 %
3)	विविध (गलीचा इत्यादि) (कार्यालय / क्वार्टर्स)	30 %

कम्प्यूटर संस्थापना (इन्स्टॉलेशन) और कार्यालय उपकरण

1)	कायालय उपकरण	15 %
2)	टंकण यंत्र	15 %
3)	एयरकंडीशनर और वॉटर कूलर	15%
4)	चिकित्सा उपकरण	10 %
5)	कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संस्थापना	40 %

दुश्य श्रव्य उपकरण

20 %

6)

firms / suppliers / tenderers and bills settled will be immediately entered in this Register with the final amount of the bill rounded off to the nearest 50. Rupees

- 13.2 The Purchase Order and Bills Register will be scrutinised every week by the DO looking after dead stock work with a view to ensure that no orders placed with the firms / suppliers / tenderers are outstanding and where necessary, suitable action will be taken by advising the firms / suppliers / tenderers in writing or otherwise to honour their commitment expeditiously.
- 13.3 All bills received from firms / suppliers / tenderers will be first entered in the Inward Bills Register (Form DSR 12) and thereafter in the Purchase Orders and Bills Register referred to above. The ADO in charge of the Dead Stock Section will ensure that specific sanction of the appropriate authority for incurring the expenditure under reference has already been obtained. He will also record on the bills the following certificate:-
 - " CERTIFIED THAT the above articles have been received in good condition, conform to the specifications and approved samples and have been taken into stock."
- 13.4 The bills will thereafter be scrutinised and sanctioned for payment by the appropriate authority. The particulars of the bills and the date of payment thereof will be recorded in the Purchase Orders and Bills Register and will also be marked off in the Inward Bills Register after the payment of the bill is finally made to the concerned firm / supplier / tenderer. All such payments will be made only through 'A/c Payee'

वाहन

मोटर वाहन 1) 20 % 20 %

साईकिल 2)

परिसर

कार्यालय परिसर 1) 5 %

स्टाफ क्वार्टर्स 2) 5 %

14.2 मृल्य हास (डैप्रीसिएशन) जड़वस्तुओं के हासित मृल्य के अथ शेष (ओपनिंग बैलेंस) पर प्रभारित किया जाएगा । वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए मूल्यहास उन जड़वस्तुओं की मूल लागत पर प्रभारित किया जाएगा । संबद्ध लेखा वर्ष के दौरान बेची गई / निपटाई गई (वस्तुओं के लिए किसी प्रकार का मुल्य हास प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

नोट :

खाता बहियों में दर्शाया गया - हासित मूल्य वह मूल्य है जो जड़वस्तु की मूल लागत में से, लेखा वर्ष प्रारंभ होने तक, ज्टाए (प्रोवाइडिड) मुल्यहास को घटाने पर प्राप्त होता है ।

जड़वस्तुओं पर मूल्य हास प्रभारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया प्रधान कार्यालय के वित्त और लेखा विभाग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप होगी।

14. (क) बीमा

प्रधान कार्यालय में उपमहाप्रबन्धक, साप्रपवि और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी अधिकारी बैंक की जड़वस्तुओं को आग, सेंधमारी और चोरी से होने वाली किसी हानि या नुकसान के 🔭 सम्भाव्य जोखिमों से बचाने के लिए बीमा कराने की व्यवस्था करें । परिसम्पत्ति के वर्तमान 🥼 हासित मूल्य पर कराया गया बीमा, बैसा भी मामला हो , बैंक के लेखावर्ष की अवधि अर्थात अप्रैल से मार्च के समकालिक हो, प्रशासनिक व्यय अनुभाग प्रधान कार्यालय द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाए ।

cheques and no payments will be made in cash.

CHARGING OF DEPRECIATION

14.1 The annual depreciation of all dead stock assets will be calculated by the Dead Stock Section in Head Office / Administration Division in Regional Offices at the following rate or in the manual / method prescribed by the Head Office on the last day of the accounting year.

Furniture and Fixtures	Rate of Depreciation
i) Fans and Electrical Installations (Office / Quarters)	15 %
ii) Furniture and Fixtures Account (Office / Quarters)	10 %
(Office / Quarters)	30%
Computer Installations and Office Equipments	
i) Office Equipments	15 %
ii) Typewriters	15 %
iii) Air Conditioners and Water Coolers	15 %
iv) Medical Equipments	10 %
v) Computer & Computer Installations	40 %
vi) Audio Visual Equipments	20 %
Vehicles	
i) Motor vehicles	20 %
ii) Bicycles	20 %

The depreciation will be charged on the opening balances of the written down value of the dead stock assets, For purchases made during the year

15. जड़वस्तुओं सामनों का निपटान / बट्टे खाते डालना

- 15.1 जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को ऐसी सभी जड़वस्तुओं की सूचना दी जाएगी जो सर्विस योग्य नहीं रहीं । संबंधित विभाग / प्रभाग से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग पहले सूचित की गई मरम्मत न हो सकने वाली सामग्री का निरीक्षण करेगा और उक्त जड़वस्तु आर्थिक रूप सें मरम्मत के योग्य नहीं रही इसकी अपनी संतुष्टि करेगा । यदि बही खातों में ऐसी किसी / किन्हीं सामग्री / ग्रियों का निपटान / बटटेखाते डालना आवश्यक हो तो जड़वस्तु के कार्य को देखनेवाला सविअ / विअ बाद के पैरा में दी गई प्रक्रिया के आधार पर प्रधान कार्यालय में उपमहाप्रबंधक, साप्रपत्ति / क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी अधिकारी को मामला अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा जहाँ कही व्यवहार्य होगा मरम्मत न हो सकने वाली सामग्रियाँ निरीक्षण के प्रशात रखवाल (केयर टेकर) की अभिरक्षा (कस्टडी) में भेज दी जाएंगी ।
- 15.2 क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में सक्षम अधिकारियों की पूर्व अनुमित के बिना कोई भी जड़वस्तु बहीखाते से बट्टीखाते नहीं डाली जाएगी । अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते समय, सभी ब्यौरे जैसे विवरण जड़वस्तुओं की सूची सं., सामग्री की खरीद की तारीख, उसकी मूल लागत, वर्तमान हासित मूल्य और जड़वस्तु से वस्तु को बट्टेखाते डालने के कारण सक्षम प्रधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे । मोटरकार, टाईपराइटरों, मशीन इत्यादि जैसी मंहगी वस्तुओं के संबंध में उनकी खरीद के बाद से अब तक उनकी मरम्मत पर व्यय की गई कुल लागत भी उसमें दर्शायी जाएगी ।
- 15.3 जड़वस्तु सामग्रियों को बट्टेखाते डालने हेतु मंजूरी देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी और प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक साप्रपिव, सक्षम प्रधिकारी होंगे । प्रभारी अधिकारी महाप्रबंधक साप्रपिव से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात केवल निम्नलिखित वस्तुएं ही बहियों से बट्टेखाते डाली जा सकेंगी ।
- 1) फर्नीचर एवं जुडनार, विद्युत उपकरण, टंकण यंत्र और कार्यालय उपकरण जैसी जड़वस्तुएं, जिनकी आर्थिक रूप से उपयोगी अवधि, मूल्य हास के माध्यम से हासित मूल्य पूर्णत: चुक जाने के कारण, समाप्त हो चुकी है, इनकी दर ऊपर पैरा 14 में पहले ही इंगित की जा चुकी है। न्यूनतम अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी, यदि वस्तुओं को बहीखातों से बहेखाते डाला जाना है तो प्रभारी अधिकारी / महाप्रबंधक मंजूरी देने से पहले, स्वयं बहेखाते डाले जाने हेतु प्रस्तावित

depreciation will be charged on the original cost of such dead stock articles. No depreciation will be provided for on assets sold / disposed off during the relevant accounting year.

NOTE:

The written down value is the value of the dead stock assets appearing in the books which is arrived at by deducting the depreciation provided from the original cost of dead stock article till the beginning of the accounting year.

For detailed procedure on charging depreciation to dead stock assets, the offices will follow the instructions in force as advised by Finance and Accounts Department in Head Office, from time to time.

14.2 Insurance

The DGM, GAPD, HO and OIC, RO may arrange to secure insurance for the Dead Stock Articles of the Bank against possible risks of damage or loss on account of fire, burglary and theft. The Insurance taken at current / depreciated value of the assets, as the case may be, will synchronise with the accounting year of Bank, namely April to March. The instructions issued by the Administrative Expenses Section, HO from time to time in this regard may be followed.

DISPOSAL / WRITING OFF OF DEAD STOCK ARTICLES

15.1

All dead stock articles which have become unserviceable will be reported to Dead Stock Section / Administration Division. On receiving such intimation from the concerned Department / Division, the Dead Stock Section / Administration Division will first inspect the reported unserviceable articles and satisfy itself that the articles have become unserviceable and are beyond economic repairs. If it is considered necessary to dispose of / write off any such article/s from the books the ADO / DO looking

सामग्री की जाँच करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा यह मरम्मत करने के योग्य नहीं है तथा उनकी मरम्मत आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं है।

- 2) सामग्री, जिसको बदलने की आवश्यकता है और जिनकी लागत प्रभारी अधिकारी / महा प्रबंधक की मंजूरी सीमा के अंदर है ।
- 3) अन्य सभी मामलों में वस्तुएँ मुख्य कार्यपालक की पूर्व अनुमित से उनके पास निहित शिक्तयों के अनुसार बहेखाते डाली जाएँगी। तथापि, यदि वस्तु की मूल लागत 50,000/- रु. से अधिक हो तो अंग्रेजी, हिन्दी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कोटेशन आमंत्रित कर उनका निपटान किया जाए। जड़वस्तु को बहेखाते डालने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, उपर्युक्त सामग्री की अंतिम बिक्री के लिए संभाव्य विक्रेताओं से, इनमें स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं, मोहरबंद भाव (कोटेशन) आमित्रित किए जाएं। निर्धारित तारीख तक प्राप्त भावों (कोटेशन) को प्रधान कार्यालय में उपमहामप्रबंधक सामान्य प्रशासन और परिसर विभाग / क्षेत्रीय में प्रभारी अधिकारी की उपस्थित में खोला जाए। बेची जानेवाली वस्तु को उस व्यक्ति / पक्ष को बेचा जाए जिसने सबसे अधिक भाव लगाए हों।
- 4) ऐसे मामले में, जहां लगाया गया भाव बही मूल्य / अनुमानित मूल्य से कम है, क्षेत्रीय . कार्यालय में प्रभारी अधिकारी / महाप्रबंधक साप्रपिव / मुख्य कार्यपालक जैसा भी मामला हो, यह निर्णय लेंगे कि वस्तु को बेचा जाए या फिर से भाव मंगाए जाएं।
- 15.4 जब जड़वस्तु बहियों से बट्टे खाते डाली जाती है तो उसे जड़वस्तु वस्तु सूची रिजस्टर से निकाल दिया जाएगा और उस पर सिवंअ / विञ्ज के आद्यक्षर होने चाहिए । जड़वस्तु क्रय रिजस्टर और बट्टेखाते डाली गई जड़वस्तु रिजस्टर (फार्म जड़वस्तु र 1) में आवश्यक प्रविष्टियां / टिप्पणियां भी की / दि जाएंगी । जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग द्वारा संबंधित विभाग / प्रभाग को वस्तुसूची निरस्तीकरण सूचना भी जारी की जाएगी । तत्पश्चात् जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग से वस्तुसूची निरस्तीकरण सूचनाओं की प्रप्ति पर विभाग / प्रभाग में रखे गए वस्तुसूची रिजस्टर में उचित तरीके से संशोधन किया जाएगा और उस पर संबंधित विभाग / प्रभाग के उपप्रबंधक / प्रबंधक के आद्यक्षर होने चाहिए।
- 15.5 कम मूल्य की सामग्रियों के मामले में, अर्थात जिनका मूल्य रु. 200/- तक है, या उनमें जिनकी उपयोग अवधि अपेक्षाकृत कम है अर्थात 2 से 3 वर्ष है और उन मामलों में जहां वस्तु खो

after the dead stock work will pur up the matter for approval to the DGM, GAPD at the Head Office / Officer - in - Charge at Regional Office as per the procedure laid down in the subsequent paragraph. Wherever feasible, the unserviceable articles will be transferred to the custody of the Caretaker after inspection.

- 15.2 No article of dead stock will be written off from the books without obtaining the prior approval of the competent authority at the Regional Office / Head Office. While submitting for approval, particulars such as description and inventory number of dead stock article, the date of purchase of the article, its initial cost, present written down value and the reasons for writing off the article from dead stock, will be furnished to the competent authority. Total cost incurred on repairs since it was purchased, will also be mentioned in respect of costly articles, such as Motor Cars, Typewriters, Machines, etc.
- 15.3 The competent authority to approve the dead stock article to be written off will be the Officer in Charge at the Regional Office / General Manager GAPD at Head Office. Only the undernoted articles will be written off from the books after obtaining the sanction of Officer-in Charge / General Manager GAPD.
- The dead stock articles like furniture and fixtures, electrical equipment, typewriters, and office equipments etc. whose economic life is over due to completely charging the value written down by way of depreciation, as already indicated in Para 14 above.

Even after the minimum period is over, if the articles are required to be written off the books, the Officer - in - Charge / General गई है या टूट गई है / क्षतिग्रस्त हो गई है और उनके बदले में सामग्री / अनुपातिक लागत कर्मचारी से वसूल कर ली गई है ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, प्रधान कार्यालय के सक्षम अधिकारी को सूचित किए बिना ऐसी वस्तुओं और उनके मूल्य को "जड़वस्तु खाते" से बड़े खाते डाल सकते हैं।

विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव

जड़वस्तु अनुभाग/ प्रशासन प्रभाग जड़वस्तु सामग्रियों की खरीद, मरम्मत, सर्विसिंग इत्यादि का अभिलेख रखने के लिए निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा। जड़वस्तु कार्य के प्रभारी सहायक विकास अधिकारी/विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ये रजिस्टर अद्यतन और विधिवत आद्यक्षरित रखे जाते हैं। ये रजिस्टर उपर्युक्त सविअ / विअ की अभिरक्षा में रहेंगे। अनुभाग के उपप्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें प्रविष्टियां ठीक प्रकार से की गई हैं और विधिवत अधिप्रमाणित की गई हैं।

16.1 जड़वस्तु क्रय रजिस्टर

यह रजिस्टर लेखा शीर्षवार (फार्म जड़वस्तु - र - 1) रखा जाएगा और इसमें विभिन्न जड़वस्तुओं के लिए अलग - अलग पृष्ठ निर्धारित किए जाएंगे । जड़वस्तु सामग्रियों के क्रय, स्थापन इत्यादि से संबंधित सभी आवश्यक ब्यौरे इसमें रखे जाएं । कार्यालय परिसर और आवासीय क्वार्टरों / आगन्तुक अधिकारी फ्लैटों (वी ओ एफ) में रखी गई जड़वस्तुओं का अलग - अलग रिकार्ड रखा जाएगा । जब कभी जड़वस्तु एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अंतरित की जाती है, उनसे संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां / टिप्पणियां भी उपर्युक्त रजिस्टर में रिकार्ड की जाएगी ।

16.2 जड़बस्तु - बस्तुसूची रजिस्टर

इस रजिस्टर का (फार्म जड़वस्तु र-2) रखरखाव किया जाएगा, इसमें सभी जड़वस्तुओं के ब्यौरों की अलग-अलग पृथ्वें पर वर्ग - वार प्रविष्टियां की जाएंगी इसके अलावा, कार्यालय परिसर और आवासीय क्वार्टरों / आगन्तुक अधिकारी फ्लैटों में रखी गई जड़वस्तु सामग्रियों के लिए अलग रिकार्ड रखे जाएंगे।

16.3 मरम्मत रजिस्टर

्र मरम्मत के लिए मंजूरी रजिस्टर फार्म जड़वस्तु - र 4 में रखा जाए । इस रजिस्टर में सभी जड़वस्तुओं के लिए, जिनकी मरम्मत की जानी है, अलग - अलग भाग निर्धारित किए जाएंगें और Manager will, prior to according the sanction, personally examine the article proposed to be written off and satisfy himself that it has become unserviceable and is beyond the stage of economic repairs.


- ii) Articles which need replacement and the cost of which is within the limit of sanction vested in the Officer in Charge / General Manager.
- iii). In all other cases, articles will be written off after obtaining prior sanction of the Chief Executive as per the powers vested with him.]

 However, if the original price of the article was more than Rs. 50,000/-, the same may preferably be disposed off by inviting quotations through advertisement in English, Hindi & Local language dailies.

After obtaining necessary approval for writing off the dead stock article, sealed quotations will be invited from the prospective buyers including members of staff for eventual disposal of the said articles. The quotations received upto the prescribed date will be opened in the presence of GM, GAPD at Head Office / Officer - in - Charge at Regional Office. The article in question will be sold to the person / party whoever has quoted the highest price.

- iv) In case the quoted offer is less than the book value / expected price, the Officer in Charge of RO / GM GAPD / Chief Executive, as the case any be, will decide whether to dispose off the article or call for fresh quotations.
- 15.4 When dead stock articles are written off from the books, the entries will be deleted from the Dead Stock Inventory Register under the initials of ADO / DO. Necessary entries / remark will also be made in the Dead Stock Purchase Register and Register of Dead Stock Articles

 Written Off (Form DS R 9) Inventory cancellation advices
- (Form DS F 2) will be issued by the Dead Stock Section /



इसमें आवश्यक रिकार्ड रखे जाएंगे ।

16.4 साफ सफाई (सर्विस) - संविदा (कान्ट्रेक्ट) रजिस्टर

जड़वस्तु - र - 5 के प्रारुप में सफाई (सर्विस) संविदा रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा और इसमें प्रत्येक सामग्री - मशीनों , अग्निशामकों लिफ्टों , टंकणयंत्रो , इत्यादि के अनुरक्षण से संबंधित सफाई संविदा के ब्यौरे अलग - अलग पृष्ठों पर रखे जाएंगे ।

16.5 चाबियों का रजिस्टर

जड़वस्तु - र - 6 के प्रारुप में चाबियों का रजिस्टर रखा जाएगा और कार्यालय की सभी चाबियों के ब्योरे इस रजिस्टर में रखे जाएंगे।

16.6 क्रय आदेश और बिल रजिस्टर

क्रय आदेश और बिल रिजस्टर के लिए जड़वस्तु - र - 7 रिजस्टर रखा जाएगा । दिए गए सभी आदेशों और जड़बस्तुओं की खरीद से संबंधित प्राप्त सभी बिलों, जिनका भुगतान राष्ट्रीय बैंक द्वारा किया जाना है (लागत मूल्यों पर ध्यान दिए बिना) और उनकी सफाई / मरम्मत से संबंधित रिकार्ड इस रिजस्टर में रखा जाएगा ।

16.7 मूल्य - हास गणना रजिस्टर

जड़वस्तु - र - 8 के प्रारुप में लेखावार और सहायक बही शीर्षवार मूल्य - ह्रास गणना रिजस्टर रखा जाएगा, इसमें सभी जड़वस्तुओं का परिगणित मूल्य ह्रास, ह्रासित मूल्य इत्यादि का अभिलेख रखा जाएगा । मूल्य - ह्रास की गणना और ह्रासित मूल्य निकालने के लिए प्रधान कार्यालय के वित्त ओर लेखा विभाग द्वारा सूचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

16.8 बहेखाते डाली गई जड़वस्तुओं का रजिस्टर

कार्यालय वस्तुसूची से बट्टेखाते डाली गई सामग्रियों के निपटान पर दृष्टि रखने हेतु जड़वस्तु - र - 9 के प्रारुप में एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें मरम्मत न हो सकने वाली सामग्रियों के सभी आवश्यक ब्यौरों का अभिलेख होगा और उसमें ऐसी सामग्रियों का अंतिम निपटान भी दर्शाया जाएगा। प्रत्येक अवसर पर प्रधान कार्यालय में उपमहाप्रबंधक साप्रपवि / क्षेत्रीय Administration Division to the respective Department / Division. Thereafter, Inventory Register maintained in the Department / Division will be amended suitably under the initials of Deputy Manager / Manager of the concerned Department / Division on receipt of Inventory Cancellation Advices from Dead Stock Section / Administration Division.

15.5 In the case of articles of small value, say upto Rs. 200/- or those whose life is comparatively small, say 2 or 3 years and in cases where an article is lost or broken / damaged and its replacement / praportionate cost has been recovered from the employee, the Officer-in - Charge of RO may write off such article and its value from Dead Stock A/c without referring to the Competent Authority at Head Office.

16. MAINTENANCE OF VARIOUS REGISTERS

Dead Stock Section / Administration Division will maintain the following Registers for recording purchase, repairs, servicing, etc. of the dead stock articles. The ADO/DO in charge of the dead stock work will ensure that these registers are maintained upto date and duly initialled. These registers will be in the custody of the said ADO / DO. The DM of the Section shall ensure that entries have been made and duly authenticated.

16.1 Dead Stock Purchase Register

This register will be maintained (Form DS-R1) account head-wise by alloting separate folios for different dead stock articles. All the required particulars regarding purchases, location etc. of dead stock articles will be recorded herein. Separate records will be maintained for dead stock articles kept in office premises and those at residential quarters / visiting officers flats. Whenever dead stock articles are transferred from one office to another, necessary entries / remarks will also be recorded in the above register.

कार्यालय में प्रभारी अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर को देखा / सत्यापित किया जाए ।

17. जड़वस्तुओं की खरीद, मरम्मत पर हुए व्यय मूल्य - ह्रास इत्यादि का लेखा

17.1 खरीद

जड़वस्तुओं. की खरीद पर हुए व्यय को सामान्य बही के संबंधित शीर्ष में अर्थात "फर्निचर और जुड़नार खाता", "वाहन खाता" इत्यादि जैसा भी मामला हो, नामे डाला जाए । संबंधित सहायक (सबसिडियरी) बहियों में भी नामे प्रविष्टियां जाएं ।

17.2 मरम्मत

जड़वस्तुओं जैसे फर्नीचर / फिक्सचर , वाहन इत्यादि की मरम्मत पर खर्च की गई राशि सहायक (सबसिडियरी) बही में रखें "अन्य व्यय - वस्तुओं की मरम्मत खाता" में नामे डाले जाएंगे।

17.3 मूल्य - हास्

जड़वस्तुओं पर मूल्य - हास प्रभार सामान्य बही और साथ ही साथ सहायक बही में रखें लेखाशीर्ष " मूल्य - हास खाता " में नामे डाले जाएंगे और " मूल्य - हास के लिए प्रावधान खाता " में जमा किए जाएंगे।

17.4 जड़वस्तुओं का निपटान (डिस्पोजल)

जड़वस्तुओं की बिक्री के लिए किए गए प्रासंगिक व्यय जैसे विज्ञापन, कमीशन, परिवहन प्रभार इत्यदि को घटाने के पश्चात जड़वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त शुद्ध बिक्री प्रप्तियों की गणना की जाएगी। यदि बिक्री प्रप्तियां हासित मूल्य से कम हैं तो हानि "विविध व्यय बैंक सम्पत्ति की बिक्री से लाभ / हानि खाता" में नामे डालकर समायोजित की जाएंगी। यदि बिक्री प्राप्तियाँ हासित मूल्य से अधिक हैं तो लाभ को "विविध प्राप्तियां बैंक सम्पत्ति की बिक्री से लाभ / हानि खाते" में जमा करके समायोजित की जाएंगी। बिक्री का अंतिम प्रभाव केवल उतना ही होगा जितना उपर्युक्त प्रकार से लाभ / हानि को अलग खाते में जमा / नामे डालने के बाद मूल लागत परिसम्पत्ति खाते में जमा की जातो है।

16.2 Dead Stock Inventory Register

This register will be maintained (Form DS R - 2) wherein particulars of all articles of dead stock will be entered category - wise in separate folios. Further, separate records will be maintained for dead stock articles kept in office premises and those at residential quarters visiting officers flats.

16.3 Repairs Register

Sanction Register for Repairs will be maintained in Form DSR - 4.

In this register separate portions will be earmarked for all articles of dead stock which are to be repaired and the necessary record maintained therein.

16.4 Service Contract Register

The Service Contract Register will be maintained in (Form DSR-5) and details of service contracts in respect of each article / contract for maintenance of machines, fire extinguishers, lifts, typewriters etc. will be recorded therein in seperate folios. Periodicity of service of each article will be indicated in the beginning of relevant folio.

16.5 Register of Keys

Register of keys will be maintained in Form DSR - 6 and details of all keys held at the office will be recorded in this register.

16.6 Purchase Orders and Bills Register

Register for Purchase Orders and Bill Register will be maintained in (Form DSR-7). A record of all orders placed and all bills received for payment to be made by the NABARD in respect of dead stock articles purchased (irrespective of cost price) and services / repairs carried out thereto will be maintained in this Register.

नोट :

विस्तृत लेखा प्रक्रिया के लिए कार्यालय समय - समय पर प्रधान कार्यालय के वित्त और लेखा विभाग द्वारा सूचित किए गए चालू (वर्तमान) अनुदेशों का अनुसरण करेंगे।

18. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन

18.1 जड़वस्तुओं की खरीद और उनकी सर्विसिंग / मरम्मत इत्यादि या अन्य किसी प्रक्रियागत मामले के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई सभी आपत्तियों, तुटियों और सुझावों इत्यादि पर अनुभाग में लेखापरीक्षा रिपोर्ट मिलने के एक माह की अवधि के भीतर प्रभारी अधिकारी से आवश्यक आदेश लेने के बाद सावधानीपूर्वक उत्तर दिए जाएंगे / अनुपालन किया जाएगा । क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में , संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रधान कार्यालय की जानकारी हेतु प्रधान कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

उप कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों / आवासीय क्वार्टरों में जड़वस्तु की खरीद, मरम्मत इत्यादि

- 19.1 उप कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में जड़वस्तुओं की खरीद, मरम्मत आदि के लिए प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित अभिलेख का रखरखाव मोटे तौर पर क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप ही होगा और यदि आवश्यक हो तो वे अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते है।
- 19.2 प्रशिक्षण केन्द्रों में, जहां जड़वस्तु विदेशी सहायता निधियों (जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, स्विस निधि इत्यादि) से खरीदी जाती हैं, संबंधित रजिस्टरों में अलग से अभिलेख रखा जाएगा या ऐसे रजिस्टरों के "टिप्पणियाँ" वाले खाने में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी।

Depreciation Calculation Register

A Depreciation Calculation Register will be maintained in (Form DSR-8) account-head-wise and subsidiary ledger-head-wise. A record of depreciation calculated, written down values etc. of all dead stock assets will be maintained herein. The method of calculating depreciation and arriving at written down value will be followed as advised by Finance and Accounts Department of Head Office.

16.8 Register of Dead Stock Articles Written Off

To enable the Office to keep a watch on the disposal of articles written off from the inventories, a separate Register will be maintained in (Form DSR - 9) wherein all the necessary particulars of the condemned articles will recorded and final disposal of such articles also be shown therein. This register should on each occasion be seen / verified by the DGM - GAPD at Head Office / Officer - in - Charge at Regional Office.

17. ACCOUNTING OF EXPENDITURE INCURRED ON PURCHASES, REPAIRS, DEPRECIATION ETC. ON THE DEAD STOCK ARTICLES

with the shadeled of the Manual Colors of the

17.1 Purchases

The expenditure incurred on purchases of dead stock articles will be debited to the respective heads of account i.e. "Furniture & Fixtures A/c" "Vehicles A/c " etc. as the case may be, maintained in the General Ledger. Debits will also be made in the relative Subsidiary Ledgers.

17.2 Repairs

The expenditure incurred on repairs to dead stock assets like furniture / fixtures, vehicles etc. will be debited to "Other Expenses - Repairs to Property A/c " maintained in the Subsidiary Ledger.

17.3 Depreciation

The depreciation charged on the dead stock assets will be debited to "Depreciation A/c " and credited to "Provision for Depreciation A/c" maintained in the General Ledger as well as Subsidiary Ledger heads of A/cs.

17.4 Disposal of dead stock articles

The net sales proceeds of the dead stock articles disposed off will be calculated after deducting the incidental expenses, such as advertisement, commission, transport, charges etc. incurred for disposing of the dead stock articles. If the sales proceeds are less than the written down value, the loss will be adjusted by debit to "Miscellaneous Expenses - Profit / Loss on Sale of Bank's Property A/c ". If the sales proceeds are more than the written down value, the profit will be credited to "Miscellaneous Receipts - Profit / Loss on Sale of Bank's Property." The final effect of a sale should be that only the original cost is credited to the asset account while profit / loss is credited to separate Account as aforesaid.

NOTE:

For detailed accounting procedure the Offices will follow the instructions in force as advised by Finance and Accounts Department of Head Office from time to time.

18. COMPLIANCE OF AUDIT REPORTS

All objections, omissions and the suggestions etc. pointed out by
the Internal Audit Department relating to the purchase of dead stock articles
and servicing repairs thereof etc. or any other procedural matter will be
replied / complied with carefully, after taking necessary order from the
Officer - in - Charge, within a period of one month from the date of
receiving the Audit Report in the Section In case of Regional Offices, a
compliance report will be submitted by the Officer - in - Charge of that

Regional Office to Head Office, for their information

- 19. PURCHASE, REPAIRS ETC. TO
 DEAD STOCK ARTICLES AT SUB OFFICES /
 TRAINING CENTRES / RESIDENTIAL QUARTERS
 - 19.1 The procedure for purchase, repairs etc. of dead stock articles and maintenance of relevant records at Sub Offices / Training Centres will broadly conform to the procedures prescribed for Regional Offices with necessary changes, if any, to suit their requirements.
 - 19.2 At Training Centres, whenever dead stock articles are purchased out of External Aid/Funds like IDA. Swiss Fund etc. separate records will be maintained or necessary entries will be made in the "Remarks" column of such Registers.

जड़बस्तु बस्तु - (डैड स्टॉक) की सूचना

के प्रतियों में

सूची सूचना सं

दिनांक

मिमलिखित जड़बस्तुएं

को आवंदित की गई है और आवंदित वस्तु - सूची संख्या सामग्रों के समक्ष दशाई गई है। [विभाग / प्रभाग / अनुभाग

अइवस्तु सामग्री / सामग्रियों का / के ब्योग / ब्योरे

आबंटित सूची संख्य

विष्याग / प्रभाग / अनुष्याग अपने निश्नाग / प्रशाम के अकृषस्तु मस्तु - सूमी स्निस्टर में अस सामग्रियों को नोट करने की व्यवस्था कर और इस सूचना की विधिवत् हस्ताश्वरित दूसरो प्रति जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को वापस कर

प्रमान

(सहायक विकास अधिकारी)

DEAD STOCK INVENTORY ADVICE

		37
	á	۷
	ç	ą
		2
Ē	C	5
	-	2
	٦	۰
	ŕ	-

1		Section)
	-	/ Division /
	9	partment
	ticles have been allotted	(De
	heen	
dated	have	
	articles	
	stock	
	dead	
e No.	following	•
AVICE	rhe.	

the article/s. against the inventory numbers allotted are indicated and

Description of Dead Stock Article/s

Inventory No. allotted

Department / Division / Section may please arrange to note the above articles in the Dead Stock Inventory Register of their Department / Division and return the duplicate copy of this advice duly signed to the Dead Stock Section / Administration Division.

Division

Assistant Development Officer

जड़वस्तु वस्तु - सूची निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) की सूचना

(हो प्रतियों में)

निरस्तीकरण भृचना सं

दनाक

निम्नलिखित जड़वस्तु सामग्नियाँ जो

खाता बहियों से, बट्टे खाते (रिटन ऑफ) डाल दी गई है और बड़बस्तु अनुभाग द्वारा इस हेतु रखे गए बड़बस्तु बस्तु-सूची में संबंधित विक को

प्रतिष्यां निरस्त कर दी गई है

मूची संख्या

विभाग / प्रभाग / अनुभाग को आबंटित की गई थीं, राष्ट्रीय

जड़वासु सामग्री का ब्यौरा

विमाग / प्रभाग / अनुभाग अपने विभाग / प्रभाग के जड़वस्तु वस्तु - सूची रिजस्टर से उपर्युक्त सामग्रियों को निकाल दें और इस सूचना की विधिवत् हस्ताक्षरित दूसरी प्रति जड़वस्तु अनुभाग / प्रशासन प्रभाग को वापस भेज दें ।

विभाग / प्रभाग

(सहायक विकास अधिकारी)

DEAD STOCK INVENTORY CANCELLATION ADVICE

In duplicate

Department / Division /	Section have since been written off from the books of accounts of the National Bank and the relative entries in the Dead Stock Inventory Register maintained by the Dead Stock Section have been cancelled. Description of Dead Stock Article/s	from the Dead Stock Inventory Register of their Department / Division and return the duplicate copy of this advice duly signed to the Dead Stock Section / Administration Division.	Assistant Development Officer
illoted to	books of accounts of maintained by the Dea	ion / Section may plea neir Department / Divi Stock Section / Admi	ision
The following dead stock articles which were alloted to	written off from the books of inventory Register maintaine of Dead Stock Article/s	Department / Divis entory Register of the signed to the Dead	Department / Division
The following dead sto	Section have since been written entries in the Dead Stock invi-	from the Dead Stock Inventory Register of their Department / Division and return the copy of this advice duly signed to the Dead Stock Section / Administration Division.	

राष्ट्रीय बैंक

कार्यालय

को जड़वस्तु सामग्रियों का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय / विभाग / प्रभाग में उपयोग में लाई जा रही जड़वस्तु सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया और अगले पृष्ठ पर मदों में दर्शाई गई विसंगतियों के अलावा सभी सामग्रियों जड़वस्तु वस्तु - सूची रजिस्टर से मेल खाती हैं।

हस्ताक्षर:

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

NABARD

Office

	ji, c			
Certificate	of	Dead	Stock	article
as on				±

Certified that the articles of dead stock in use of this Office / Department / Division have been physically verified and found to agree with those in the Dead Stock Inventory Register except for the items of discrepancies mentioned overleaf.

Signature

Name

Designation

Date :

दूँदने के लिए किए गए प्रयासी महित टियाणियाँ (रिपार्क) पिछले जून के अनुसार इग्रस्त (स्टिन डाउन) देखी गई विसंगतियाँ (डिस्कीपेंसिस) सनित मृत्य अनुपलका मदे अन्य मृत्य ऋय को तारीख वस्तुम्ची मख्या जड़बस्तु गिंजस्टर के अनुसार मात्रा मीतिक गणना के अनुसार मात्रा सामग्रियो का का विवरण

साप्रपवि - जड़वस्तु - फा 4

कार्यालय का वर्ष के लिए समाधान (रिकेसिलिएशन) विवरण

开	1 :-	-
बसुर		N
उपयोग में	ताई वा रही बस्तुए	မ
	खरीदो गह बस्तुएँ	4
कार्याल	केची गर्ड करे खाते जाती गर्ड अन्य क्षेका को स्थानातीत	ΰı
कार्यालय परिसर	अनुपलब्ब वस्तुएँ	on .
	उपलब्स संस्पृप	7
उपयोग में	ा वस्तुए वस्तुए	8
क्वार्टर	खरीदो गई सस्यूर्प	9
स्वार्टर्स और आगन्द्रक अधिकारी फ्लैट	बेची गई/ बहे खाते डाली गई/ अन्य क्षेका को स्थानांठरित	10
दुक अधिका	अनुपूर्व अनुपूर्व	11
ो फ्लेट	उपलब्ध चन्तुएँ	12
उपयोग मे		13
	खरीदी गई. बस्तुए	14
6.91	बेची गर्ः) श्रेष्ठ खाते श्रेष्ठ खाते अस्य अस्य बेका को बस्तुरं	15
ङ्ग	अनुपलन्थ उपलब्ध वस्तुर्ए वस्तुर्ए	16
	अलब्ध गरदुएँ	17
टिपणियाँ		18

Certificate of Dead Stock articles

DISCREPANCIES NOTICED

-			Description of Articles
2	geld at	physical count	Quantity
w		Dead Stock Register	Quantity
4		Inventory No.	
5		Date of Purchase	
6	Rs. P	Cost of purchase	Items n
7		Accumulated Depreciation	Items not available
	Rs	Written down value as on last June	
00	P	en value n	
9		efforts made to locate	Remarks

खाता र	ीर्ष उपशोर्ष के	साथ				सं	वस्तु क्रय	जिस्टर						
-														
湖	भगतान को	खरोटी गई /	मात्रा	শ্ৰ	9	हस्तोत्सण	आप्रतिकर्ता/	बिल संख्या	मंजूरीकर्ता	मदबार / बस्तु	बस्दु सूची	THE	सविअ/	टिप्पणिया
at	तारोख	अंतरित को गई			坦	1	क्षेत्रीय कार्यालय	और दिनांक	प्रस्कारो	भूबी रिबस्टर	HEWI		वि अ क	
		सरम्पत कराई गई सामग्री के ब्योर			,		का नाम			की पृथ्व संख्या			आचधर	

_	!	pti
	•	
М		तारोख
မ		अंतरित को गई मरम्मत कराई गई सामग्री के ब्योर
4		
	la.	
51	,de	
o.	M	7
	, qu	H
7	pt	շ
	,au	
8		क्षेत्रीय कार्यालय अ का नाम
9		और दिनांक
	स्तम	प्रस्कारी
=	दिनांक	12
12		भूबी रिजस्टर को पृष्ट संख्या
13		संख्या
14		
15	-	वि अ के आधार
õ		

No.		-
Articles		2
zməil	əsn u	ω
	Items purchased	4
Office Premises	hems sold / written oil / transferred to other RO	5
emises	Items not available	0
	Items available	7
Items	əsn ui	00
ri a	Items purchased	9
Quarters & Officers	Items sold / written off transferred to other RO/Qrs /VOF flats	10
Visiting Flats		5
	Items available	12
Items	əsn uı	13
	Items purchased	14
Total	Items sold / written off transferred to other RO/Qrs /VOF flats	15
E.	Items not available	16
	ltems available	17
Kema	nks	50

THE YEAR — OFFICE

No.		-
Articles		2
Items	u nze	w
	Items, purchased	4
Office Premises	Items sold / written of transferred to other RO	S
emises	Items not available	6
	ltems available	7
Items	əsn ui	∞
-	Items purchased	9
Quarters & Officers	Items sold / written off transferred to other RO/Qrs /VOF flats	10
Visiting Flats	Items not available	=
	Items available	12
Items	əsn ui	13
	Items purchased	14
Total	Items sold / written off transferred to other RO/Qrs /VOF flats	15
E.	Items not available	16
	ltems available	17
Kema	rks	18

THE YEAR -OFFICE

RECONCILIATION STATEMENT FOR

DEAD STOCK PURCHASE REGISTER

head
Sub
with
A/c
of
Head

	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	DOMESTIC OFFICE AND ADDRESS OF
Remark	s	15
Initials	of ADO / DO	7
Location	1	13
Inventor	y No.	12.
item wi Register	se / Inventory Page No.	=
Sanctioning	Date	1 0
-	Designation and Date	6
Name o	f the L. Office	96
Transfer Cost Re P	. '	7.
Total Cost		6.
Rate Rs P		5.
Quantity		4
Particular puchased work car	s of articles / transferred in/ ned out	. S
Date of	payment	2

जड़वस्तु - वस्तु सूची रजिस्टर

...

खाता शीर्ष उप शीर्ष सहित:

比上版	। अंतरित		समात		सामगो का ह्यांसत / अंदरित मूल्य	क्रय जिन् पृष्ठ संख	वस्तु सूची सूचना स. और दिनांक	साममी की बस्तु मृची संख्या	विभाग / प्रभाग जिसको आवंदित कि गई है और स्थापन	आयक्षर	टियाणियाँ
	100	Many	нò кò	14)	ets'	•				स्विथ/विश	
	2	-00	9		4	22	9	7	æ	1 2 8 9 10	10

DEAD STOCK INVENTORY REGISTER

Article :

Head of A/c with Sub - head

Date of purchase or Transfered in	S	Written down valu of the article or transferred in	Written down value of the article or transferred in	Purchase Register Page No.	Inventory Advice No. and Date	Inventory No. of the articles	Deptt / Divn. to which allotted with location	Initials ADO / DO	Remarks
	22	2	a.			=1			
2	, w		4	.5	. 6	7	80	6	10

विभागीय जड़वस्तु - मूची रजिस्टर

विभाग / प्रभाग का नाम:

किसके द्वारा बाँचकर्ता स वि. अ. प्रविष्टि की गई वि. अ. 2 3 4 5 6 7 8	बस्तु मूची मूचना संख्या और दिनांक	सूचना (दिनांक	सामग्री की बस्तु सूची संख्या	साममी का विवरण	प्रप्ति की दिनांक	रू	आद्यक्षर	टिप्पणियाँ
8		22.1 kg -		,		किसके द्वारा प्रविष्टि की गई	ऑचकर्ता स वि. अ वि. अ	
		. 7	•	4	S	9	7	8

:		10		10	00)	7	o	G1	4	ω	ra	-4
2	र्ग प्रबन्धक प्रबन	F 100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ग विकास अधिकारी	. 4	,el ,ep	,ds	:el					
								ī				
					The state of	OF THE				-		
	**	अद्यक्ष			आनेवाली	乱			915.8		विदरण	
					<u>9</u> j,	तक अप	2002	तारांख	संख्या यह	संख्या	कराई गई मरम्मत के	μ
टिप्पणिय				टिप्पीषयं/ संस्कृतियां	अब खर्च	¥	सागर	कर्राटने की	उत्पादक	बसु सूची	सम्पर्धा मशीन इत्यादि/	퀽

Name of the :	
	DEPARTMENTAL DEAD STOCK INVENTORY REGISTER
	GAPD - DS - R

Advice No. of the the article No. & article Date		Name of the : Department / Division	DEPARTMENTAL DEAD STOCK INVENTORY REGISTE
received	Date on which		D STOCK INVENT
Entered	Initials		TORY REGISTI

No.

'n

6

00

Checked by ADO / DO

Remarks

X E			
	Manager		
ıls	Dy. Manager		
Initials	D.O.		10
	A.D.O.		
Com	ments / Recommended		6
Expe	nditure to be incurred	Δ.	00
now		8.	
		o.	1
Amo	unt spent so far	\$	
ts.	=	a.	9
Cost		2	
Date	of Purchase		8
Man	ufacture's No., if any		4
Inver	ntory No.		3
Desc mach out	ription of articles, nines etc. work carried		2
Sr. N	No.		-

11

सर्विस संविदा (कांट्रेक्ट) रिजस्टर

	,				**
सामग्रा	المارد	10 July 10 Jul	×		
फर्म का नाम और पता -	· 영화				
,					
ì	alient.				
दूरमाष सं.	100 Page 200	527	1		s.
भुगतान का प्रकार	¥ ayesis u				
मशान संख्या		i k	e e		
	· Northead	- 1			
संदर्भ ,	ं संविदा की अवधि	साक्ष	मुगतान की तारीख	आवक्षर	टिप्पणियाँ

म विअ/ विअ

दनांक

चाबियों का रजिस्टर

	7	6	co .		cω	22	-
	सहित)	de	सहित)	ale			
(दिनाक सहित	(रिनाक	किसके पास	(दिनोक	किसके पास		बरि कोई है	कमरा इत्यादि के विषरण
सत्यापक के आवश्र	अध्यक्षर	दूसरी चानी	आदाश्वर	共2 町町	बाबी संख्याः	कडवस्य सूची प्रक्रम	母是/母子/母女/對教/

S

SERVICE CONTRACT REGISTER

-	Lener No.	Reference	Mau	Nat	Tele		Nan	Arti
2	Date	ence	Machine No. Periodicity of service	Nature of Payment	Telephone No.		Name & Address of the firm	Article:
3	From	Period of Contract	rvice	ent :-	T	1 1	s of	
4	T _o	Contract						
s	25	Amount						
		unt						
6	payment	Date of			1	1 1	1	
			0					

ADO/DO

00

Initials

Remarks

1 2	# H
N	의 설
ω	अपूर्तिकर्ता/ निवदाकर्ता का भाम
4	अपूर्विकर्ता/ की बाने दर प्रति मंगाई कुल मंजूर्राकर्ता भाव कार्य पूरा सृदि अ कार्य बिल स बिल को को बेक सु दि अ निवंदाकर्ता वाली मंजूर प्रतिकार प्रतिकार सम्प्रीयो अर्दिश होंचे/ देनांक स्थाप दिनेक स्थाप विकास स्
5	ন
on .	মূন
7	를 라. 다.
œ	म् कुर सम्ब
9	पंजूर्यकर्ता शापिकारो और दिनांक
ő	भाव (कोटेशन) पुस्तक संख्या और पृष्ठ संख्या
=	कार्य पूरा करने/ की आपूर्वि निर्धारित
12	म् वि अद्यक्ष
ű	श्रीत की श्रीत की श्रीत की सामित
14	बिल स और दिनांक
15	वित अ
	को बिल का भुगतान किया गया
16 17	र्रेन के अर्थ
18	अध्यक्ष । विश्व अ
19	ম হি প্ল হিম্মীগুর্মা / বি প্ল সাম্মাধ্য

**	_	Description of Vault / Safe / Locker Cabins/ Rooms etc.
2	ы	Dead Stock Inventory No, If any
	ω	No.
	4	Original held by
	S.	Initials (with date)
	o	Duplicate held by
	7	Initials (with date)
	80	Initials of verifier (with date)
	9	Remarks

सामान्य बही खाता शीर्ष

मरम्मत हास (डैप्रीसिएशन) गणना रजिस्टर

4	
2	
식	
96	,
खात	
1 411	,
-	7

17.0		
2 2		सामधी
		1-11-3
2		ब से खा
ω		वर्ष के आरम्भ में ह्यसित मृत्य
4		अस्य अ: लागत
Ċħ	अतीरत	21
on	निषदाय गए / महे खाते डाल गए	डासित (रैप्टन डाउन) मूल्य
7	वाह्य अंतरण	भूत्य
œ	044793020	मृत्य हास की गणना हतु अधित मृत्य
Ю		मृत्य हास की आकलन ताराख किया गया मृत्य अस
10		आकलन किया गया मृत्य इत्तर
11 12 13		वर्ष के महमें स वि अ / टिप्पणिया झासत मूल्या वि अ के
25	= 11	स वि अ / दि अ के आग्रमा
13		टिप्पाणिया

- 1
- 1
- 1
- 11
- 1
- 1
- 4
77
6.5
T
H
릇
ŏ
ď,
W
50
eq
-1
al
22
5
O

Subsidiary Ledger Head

Remark	5	n
Initials	of ADO / DO	12
Written end of	down value at the the year	=
Depreci	ation Calculated	01
Date of	Depreciation	0)
Books calculate	value for ion of depreciation	
Ę	Transfer out	7
Written down	Disposed of / written off	9
W	Transfer in	-vs
Cost of	Purchase	4
Written	down value at the of the year	ь
Account	ing year	-7
Vrticles		***

होस मून्य काशालय डालन का ताराख सहित आध्यक्षर अगदेश / संदर्भ तारोख तारोख ह
--

केलकुलेटर का प्रकार प्रिटए चकेट ****************************** अको सहित गणक का कैलकलेटर (गणक) - जारी रजिस्टर - जड़वस्तु अनुभाग खरीदरे को तारीख गणक को HI:Id वस्तु सूची संख्या ताम, पदनाम अनुभाग और विभाग 1 अच्छी हालत में बापस किया

को गणव

टिप्पणियाँ

.....

五五

रिर्माण

कोटेशन(भाव) रजिस्टर

आदाशर वि. अ./ त्याणिया. डप्प्रवेषकः/ सस्तुतिया अस्तु
ti E D
खोलने को तारीख एवं समय
अधिकार स कि. अ. / कि. अ.
को महरद् पाव शय हुए
F
सद्भ स्था स्था
अनुप्तिरित फर्म/ जिच्छाकर्ता का बाम
कारकी अनुमारित तागर/सामग्री की लाग्द गाम
आपूर्त को जाने बालों कर क्यें कार्य का विवस्त
K 12

REGISTER OF DEAD STOCK ARTICLES

WRITTEN OFF / DISPOSED OF

The World Vision of George Ed.		e i novičnos SUTEROTS per iligitatio composes ilimbili tronscensorio il militario
Remarks		15
Initials of ADO / DO		14
Account credited with date		13
Sales Proceeds realised		12.
Date of disposal of Articles		=
Date of disposal of writing off from the Inventory		10
Sanctioning Authority		6
Office Order / Reference for writing off		∞
Written down value	Rs P	7
Accumulated Depreciation		٥
Original Cost		20
Inventory No.		4
Account Head		8.
Description of Articles		2
Sr. No.		

a Par x -	Calculato	r - Iss	sued Regist	er - De	Calculator - Issued Register - Dead Stock Section
Pg.			14		
a. 8		Total			
Type of Cal- Cost Per Date of Cost Inventory	Date of	Cost	Inventory		Particulars of
culator / Calculator Purchase of	Purchase	of	No	Name,	Name, Designation, Section.
Printer /		Calcu-			and Department
Pocket/with		lators			
No. of digits				6	911

tion or otherwise on:-

0

The Calculator was returned in

Remarks

working condi-

Sr. Make T

आवक बिल रजिस्टर

और दिनांक (ब्योर) किया गया वार्सिख	-	1	10	9	co	7	on	CP .	4	ω	2	-
THE PARTY OF THE P	-		तारोख	1	7P -	and a	(a)	और दिनांक	17.	1	3	200

QUOTATIONS REGISTER

		Ċ.	Sr.	
	to be supplied	work / articles	Particulars of	
articles	work / cost of Firm / Ten- No.	value of the	Approximate	
derer	Firm / Ten-	approved Letter	Name of the	
	No.	Letter	Refe	
		Date	ne Reference	
		Date	Due	*:
Recd. on	tions	Quota-	Sealed	
		ADO /DO	Initials Date and	
	opening	Time o	Date ar	
	(30	ADO /DO Time of Quoted	nd Rate	
MGR /	DM /	oted DO / 1	Initials	
mendatio -	DM / Recom-	marks /	Re-	

			Z,	Sr.
,		to be supplied work / cost of Firm / Ten- No.		Sr. Particulars of
	articles	work / cost of	value of the	Approximate
	derer	Firm / Ten-	approved Letter	
		No.		Name of the Reference Due Sealed
			Date	Due
	Recd. on	tions	Date Date Quota-	Sealed
	_		ADO /DO Time of Quoted	Initials
		opening	Time of	Initials Date and
			Quoted	Rate
DGM	MGR /	DM /	DO /	initials

00

9

ns

GAPD - DS - R12

-			Date
2.	H R 2 H	No	Sr.
ω	a. W	sender	Sr. Name of
4.	partire de		Place
5		No. and Date (Particulars	Reference
6		(Particulars)	Reference Type of Bill
7.	ж		Amount
,00			Amount Issued to
9			Initials
10		payment	Date of
=			Initials
12			Remarks